मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2014–2015

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वर्ष 2014–2015

प्रभारी मंत्री	श्री जयंत मलैया
अपर मुख्य सचिव	श्री अजय नाथ
प्रमुख सचिव	श्री आशीष उपाध्याय
सचिव	श्री मनीष रस्तोगी
संचालक, बजट	श्री संदीप यादव
अपर सचिव	श्री मिलिन्द वाईकर
उप सचिव	सुश्री सुषमा शर्मा
उप सचिव	श्री प्रदीप उपाध्याय
उप सचिव	श्री वीरेन्द्र कुमार
उप सचिव	श्री जितेन्द्र सिंह
उप सचिव	श्री अजय चौबे
अवर सचिव	श्रीमती श्रृंखला संगीने
अवर सचिव	श्री नारायण सिंह
अवर सचिव	श्री शक्ति शरण
अवर सचिव	श्री शिवलखन राम दुबे
अवर सचिव	श्री उपेन्द्र शर्मा
संचालनालय	**संचालक**
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी–सह–आयुक्त, कोष एवं लेखा	श्री आशीष उपाध्याय
आयुक्त, संस्थागत वित्त	श्री विवेक अग्रवाल
संचालक, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली	श्री संदीप यादव
संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा	श्री वरूण वर्मा
संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा	श्री वरूण वर्मा
निगम / कम्पनी / बोर्ड	**प्रबंध संचालक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी**
मध्यप्रदेश वित्त निगम	श्री के.सी.गुप्ता
प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड	श्री के. डी. मेनन महाप्रबंधक
मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान बोर्ड	श्री विवेक अग्रवाल

अनुक्रमणिका

अध्याय	खण्ड	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
I.		**वित्त विभाग की भूमिका तथा संरचना**	
	1.1	विभागीय भूमिका	1–4
	1.2	संरचना	**4**
	1.3	विभागाध्यक्ष	**4**
	1.4	निगम / बोर्ड / कम्पनी / आयोग	**4**
2.		**संचालनालय, कोष एवं लेखा**	
	2.1	सामान्य जानकारी	**5**
	2.2	अधीनस्थ कार्यालय	**5**
	2.3	अमला	**5–7**
	2.4	मुख्य दायित्व	**7**
	2.5	उपलब्धियॉ	**7–15**
3.		**संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा**	
	3.1	सामान्य जानकारी	**16**
	3.2	स्वीकृत अमले की स्थिति	**16–17**
	3.3	संपरीक्षा शुल्क	**18**
	3.4	प्रशिक्षण	**18**
	3.5	परीक्षाऐं	**18**
	3.6	संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रारूपण एवं प्रसारण	**19**
	3.7	संपरीक्षा कार्य	**20–21**
	3.8	त्रिस्तरीय पंचायतों के लेखो की संपरीक्षा	**22**
	3.9	प्रभक्षण	**22**
	3.10	अंकेक्षण आपत्तियों के निराकरण के संबंध में	**22–23**
	3.11	सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 का कियान्वयन	**23**
	3.12	राज्य की महिला नीति एवं कार्य योजना	**24**
		परिशिष्ट–1	**25**

अध्याय	खण्ड	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
4.		**संचालनालय, संस्थागत वित्त**	
	4.1	सामान्य जानकारी	26
	4.2	अधीनस्थ कार्यालय व अमला	27–28
	4.3	बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु परियोजना प्रबंधन इकाई	28–30
	4.4	राज्य ब्रिस्क योजना	30
	4.5	म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000	30–31
	4.6	मध्यप्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन	31
	4.7	प्रदेश में बैकिंग क्षेत्र की स्थिति	31–34
	4.8	मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड	34
	4.9	जन–निजी भागीदारी के माध्यम से अधोसंरचना परियोजनाओं का क्रियान्वयन	35
	4.10	महिला नीति का क्रियान्वयन	35
5.		**संचालनालय, पेंशन भविष्य निधि तथा बीमा**	
	5.1	विभागीय संरचना	36
	5.2	स्वीकृत अमला	37
	5.3	पेंशन संचालनालय के दायित्व	37–39
	5.4	पेंशन प्रकरणों की प्रगति	39
	5.5	पेंशन कार्य का जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण	39–40
	5.6	पेंशन कार्य का अंकेक्षण	40
	5.7	पेंशनर कल्याण मण्डल	40
	5.8	पेंशन कल्याण कोष	40–41
	5.9	जिला पेंशनर फोरम	41
	5.10	नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना	41–42
6.		**संचालनालय,वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली**	
	6.1	संचालनालय की संरचना	43
	6.2	संचालनालय के दायित्व	44
	6.3	संचालनालय से संबंधित सामान्य जानकारी	44
	6.4	वित्त विभाग के लिये वेब साईट	44–45
	6.5	पेपर लेस बजट	46
7.		**मध्यप्रदेश वित्त निगम**	
	7.1	सामान्य जानकारी	47
	7.2	संगठन का ध्येय एवं उद्देश्य	47–49
	7.3	उपलब्धियॉ	50
	7.4	राज्य में पूंजी विनिवेश	50–51
	7.5	सुधार के प्रयास	51
	7.6	निगम व्दारा उठाये गये ग्राहक हितैषी कदम	52

अध्याय	खण्ड	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
8.		**प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड**	
	8.1	सामान्य जानकारी	53
	8.2	उद्देश्य	53
	8.3	कम्पनी की वित्तीय स्थिति	53
9.		**मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड**	
	9.1	मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड	54
10.		**राज्य वित्त आयोग**	
	10.1	राज्य वित्त आयोग	55
		विभागाध्यक्षों के लिये बजट प्रावधान एवं व्यय	
11.	11.1	संचालनालय,कोष एवं लेखा	56
	11.2	संचालनालय,स्थानीय निधि संपरीक्षा	56
	11.3	संचालनालय,संस्थागत वित्त	56
	11.4	संचालनालय,पेंशन भविष्य निधि तथा बीमा	56
	11.5	संचालनालय,वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली	56
12.		**सामान्य प्रशासनिक विषय**	57
13.		**विभाग व्दारा प्रशासित अधिनियम/नियम/विधायी आदेश**	58
14.		**सारांश**	59–60

भाग एक

विभाग की संरचना एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों से संबंधित जानकारी

अध्याय–1

वित्त विभाग की भूमिका तथा संरचना

1.1 **विभागीय भूमिका** :–मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देशो/अनुदेशों के अंतर्गत वित्त विभाग के कार्य को नियम 11 एवं 26 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है जिसका उद्धरण इस प्रकार है :–

11(एक)कोई भी विभाग, वित्त विभाग से पूर्व परामर्श किये बिना, ऐसे किन्ही भी आदेशों को (वित्त विभाग व्दारा किये गये किसी सामान्य प्रत्यायोजन के अनुसरण में दिये गये आदेशों को छोडकर) प्राधिकृत नहीं करेगा, जो या तो तत्काल या अपने प्रतिप्रभावों व्दारा राज्य की वित्त व्यवस्था को प्रभावित करते हो या जो, विशिष्ट रूप से या तो–

(क) पदों की संख्या या श्रेणी निर्धारण या संवर्गो से या पदों की उपलब्धियों या अन्य सेवा–शर्तो से संबंधित हो, या

(ख) जिनमें किसी भूमि का अनुदान या राजस्व का समनुदेशन या खनिज या वन अधिकारों के संबंध में रियायत, मंजूरी, पटटा या अनुज्ञप्ति या जल, विघुत या किसी सुखाचार के संबंध में कोई अधिकार या ऐसी रियायत के संबंध में विशेषाधिकार अंतर्वलित हो, या

(ग) जिनमें किसी भी रूप में राजस्व का कोई त्याग अंतर्वलित हो,

(घ) सरकार व्दारा कोई गारंटी दिये जाने संबंधी हो,

(दो) किसी भी प्रस्ताव पर,जिस पर इस नियम के उप–नियम (एक) के अधीन वित्त विभाग से पूर्व परामर्श करना अपेक्षित हो, किन्तु जिस पर वित्त विभाग ने सहमति नहीं दी हो, तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, जब तक परिषद व्दारा उस प्रभाव का निर्णय न ले लिया गया हो,

(तीन) कोई भी पुर्नविनियोजन वित्त विभाग व्दारा प्रत्यायोजित अधिकार के तहत ही किया जायेगा,

(चार) उस सीमा के सिवाय, जिस सीमा तक कि वित्त विभाग व्दारा अनुमोदित किये गये नियमों के अधीन विभागों को कोई शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, किसी भी प्रशासकीय विभाग का प्रत्येक आदेश, जिसमें कि लेखा परीक्षा में प्रवर्तित की जाने वाली मंजूरी संप्रेषित की गई हो, वित्त विभाग द्वारा अधिकथित की गई प्रकिया के अनुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा लेखा परीक्षा प्राधिकारियों को संसूचित किया जाना चाहिए,

(पांच) इस नियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं होगा कि वह वित्त विभाग सहित किसी विभाग को विनियोग अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी एक अनुदान से ऐसे दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोजन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

26. वित्त विभाग विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यो का प्रभारी रहेगा :–

(एक) वह, शासन व्दारा मंजूर किये गये ऋणों से संबंधित लेखे का प्रभारी होगा ओर ऐसे ऋणों से संबंधित समस्त संव्यवहारों के वित्तीय पहलुओं पर सलाह देगा,

(दो) वह, अकाल सहायता निधि की सुरक्षा तथा उसके समुचित उपयोग के लिए तथा भविष्य निधि के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा,

(तीन) वह, करों, शुल्कों, उपकरों या फीस के अधिरोपण, वृद्वि, कमी या समाप्ति के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा उन पर प्रतिवेदन देगा,

(चार) वह, राज्य व्दारा गारंटी लेने या देने के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा प्रतिवेदन देगा, ऐसे ऋण लेगा, जो सम्यक रूप से प्राधिकृत किये गये हो, और वह ऋणों के व्यय (सर्विस ऑफ दी लोन्स) या गारंटी उन्मोचन संबंधी समस्त मामलों का प्रभारी होगा,

(पांच) वह, यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि अन्य विभागों के मार्गदर्शन के लिए समुचित वित्तीय नियम बनाए जाते है, और यह कि अन्य विभागों तथा उनके अधीनस्थ स्थापनाओं व्दारा उपयुक्त लेखे रखे जाते है।

(छः) वह, प्रतिवर्ष राज्य की कुल प्राप्ति तथा संवितरण का अनुमान तैयार करेगा तथा वर्ष के दौरान शासन के शेषों की स्थिति पर नजर रखने के लिए उत्तरदायी होगा,

(सात) बजट तथा अनुपूरक अनुमानों के संबंध में,

(क) वह, प्रतिवर्ष विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण तैयार करेगा और विधान मण्डल के मत के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त अनुदानों के लिए कोई भी अनुपूरक अनुमानों या मांगों को तैयार करेगा,

(ख) इस प्रकार तैयार किए जाने के प्रयोजन के लिए वह संबंधित विभागों से ऐसी सामग्री, जिस पर उसके अनुमान आधारित होंगे, प्राप्त करेगा तथा वह इस प्रकार दी गई सामग्री पर बनाये गये अनुमानों की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगी,

(ग) वह, नये व्यय की समस्त योजनाओं के संबंध में, जिनके लिए अनुमानों में व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया हो, परीक्षण करेगा तथा परामर्श देगा और ऐसी किसी भी योजना के लिए, जिसका इस तरह परीक्षण नहीं किया गया हो, अनुमानों में व्यवस्था करने से इंकार करेगा,

(घ) वह, विधान मण्डल व्दारा किए गए अनुदानों की पूर्ति के लिए अपेक्षित, सभी रकमों का राज्य की संचित निधि से विनियोग तथा सदन के समक्ष यथा प्रस्तुत संचित निधि पर प्रभारित व्यय की व्यवस्था करने संबंधी विधेयक के पुरःस्थापन की कार्यवाही करेगा,

(आठ) वह, लेखा परीक्षा अधिकारी से इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, कि पर्याप्त मंजूरी के अभाव में व्यय किया जा रहा है, संबंधित विभाग से मंजूरी प्राप्त करने के लिए या आगे व्यय नहीं करने के लिए अपेक्षा करेगा,

(नौ) वह, कार्यकारी पक्ष में विनियोग लेखाओं तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करेगा तथा अन्य विभागों को आवश्यक निर्देश देगा,

(दस) वह, राजस्व के संग्रहण के लिए उत्तरदायी विभागों को संग्रहण की प्रगति तथा पद्धतियों के संबंध में सलाह देगा,

उक्त कार्यो के अतिरिक्त वित्त विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय निम्नानुसार है :–

1. राज्य की संचित निधि
2. राज्य की आकस्मिकता निधि
3. राज्य का लोक लेखा
4. राज्य का लोक ऋण
5. वार्षिक वित्तीय विवरण के प्रारूप तथा विषयवस्तु, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और आपवादिक अनुदान और बजट प्रक्रिया से संबंधित सभी विषय
6. विनियोग विधेयक
7. पुर्नविनियोजन
8. अकाल सहायता निधि
9. प्राकृतिक आपदा सहायता निधि का गठन,उसमें धन का विनियोग और उससे धन के प्रत्याहरण का प्राधिकरण
10. अर्थोपाय अग्रिम व्यवस्था
11. वित्तीय संसाधन
12. वित्तीय संसाधन बढाने संबंधी सामान्य नीति
13. वित्त आयोग
14. स्थानीय निकायों के ऋण और अग्रिम धन
15. विनियोग लेखों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और लोक लेखा समिति से संबंधित या उनसे उद्भूत होने वाले विषय
16. चलार्थ, टंकण और मान्य सिक्का, विदेशीय विनियम
17. महाजनी (बैंकिग) और महाजनी (बैंकिग) समवाय
18. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा
19. संघ निवृत्ति वेतन
20. राज्य निवृत्ति वेतन तथा निवृत्ति वेतन नियम
21. निवृत्ति वेतन का एक मुश्त दान
22. अनुकम्पा निधि
23. अल्प बचत योजना
24. कोषागार
25. व्यय नियंत्रण संबंधी नियम और विनियोग इकाईयों के संबंध में विनिर्धारण
26. वर्तमान मूल नियमों और उसके अधीन सहायक नियमों के तत्स्थानी नियम

27. भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 (2) और 284 के अधीन निधि और नियम, समस्त निधियों की अभिरक्षा सुरक्षा और उनको उचित रूप से काम में लाने के विनियामक सहायक नियम
28. वित्तीय प्रक्रिया के विनियामक नियम और वाणिज्य लेखाओं को सम्मिलित करते हुए लेखा रखने संबंधी समस्त नियम
29. भविष्य निधि नियम
30. वाहन, गृह निर्माण और अन्य विधि अग्रिम धन के और इस प्रयोजन के लिये निधियों के आवंटन के विनियामक नियम
31. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम तथा संबंधित मामले
32. अन्तर्राष्ट्रीय तौर से सहायतित परियोजनाओं का परिवीक्षण
33. संस्थागत वित्त

33–क अधोसंरचना में जन–निजी भागीदारी (Public Private Partnership)

33–ख बीमा

1.2 **संरचना:–**बजट कार्य के लिए विभाग में नौ बजट शाखाएं (डेब्ट मैंनेजमेंट सेल सहित) है। इन बजट शाखाओं के मध्य विभागवार बजट बनाने का कार्य आंबटित है। इनके अतिरिक्त एक प्रशासकीय शाखा, एक नियम शाखा तथा एक आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई है। प्रशासकीय (स्थापना) शाखा में वित्त विभाग के विभागध्यक्ष कार्योलयों में संबंधित के स्थापना एवं प्रशासकीय कार्य संपादित किया जाता है। नियम शाखा में वित्त विभाग के नियमों/अधिनियमों से संबंधित विषयों को देखा जाता है और उनके संबंध में विभिन्न विभागों को आवश्यक मत/परामर्श दिया जाता है तथा पेंशन कल्याण संबंधी कार्य देखा जाता है। डेब्ट मैनेजमेंट सेल में शासन के ऋणों का संधारण किया जाता है। आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई व्दारा वित्त आयोग की अनुशंसाओं से संबंधित कार्य सम्पादित किया जाता है।

1.3 विभागाध्यक्ष :–

विभाग के अंतर्गत निम्न विभागाध्यक्ष कार्यरत है :–

1. संचालनालय, कोष एवं लेखा
2. संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा
3. संचालनालय, संस्थागत वित्त
4. संचालनालय, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा
5. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली

1.4 **निगम/बोर्ड/कम्पनी:–** विभाग के अंतर्गत निम्न निगम/कम्पनी/बोर्ड कार्यरत है :–

1. मध्यप्रदेश वित्त निगम,
2. प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड,
3. मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान बोर्ड,

अध्याय–2

संचालनालय,कोष एवं लेखा

2.1 सामान्य जानकारी :–

संचालनालय,कोष एवं लेखा, म0प्र0 की स्थापना 2 अप्रैल, 1964 को हुई थी। आयुक्त, कोष एवं लेखा संचालनालय,कोष एवं लेखा के विभागाध्यक्ष हैं। संचालनालय की मुख्य गतिविधियों में राजकोष प्रशासकीय नियंत्रण, एवं वेतन निर्धारण, लेखा प्रशिक्षण, कोष निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण, वित्त सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा का प्रबंधन आदि शामिल है।

2.2 अधीनस्थ कार्यालय :–

राज्य पुनर्गठन के पश्चात् वर्तमान में संचालनालय, कोष एवं लेखा के अधीन 07–संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा कार्यालय, 07–लेखा प्रशिक्षण शालायें, 56–कोषालय तथा 157–उपकोषालय कार्यरत हैं।

2.3 अमला :–

संचालनालय,कोष एवं लेखा के अधीन स्वीकृत पदों का विवरण निम्न तालिका 2.1 में दर्शाया गया है –

तालिका 2.1

स. क्रं.	पदनाम	संवर्ग / श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे हुए पद
1	आयुक्त	भारतीय प्रशासनिक सेवा	01	01
2	संचालक / वित्त नियंत्रक	म0प्र0 वित्त सेवा, प्रथम श्रेणी	07	04
3	अपर संचालक	म0प्र0 वित्त सेवा, प्रथम श्रेणी	18	18
4	प्रवर श्रेणी (संयुक्त संचालक)	म0प्र0वित्त सेवा, प्रथम श्रेणी	84	60
5	वरिष्ठ श्रेणी (उप संचालक)	म0प्र0 वित्त सेवा, प्रथम श्रेणी	171	87
6	कनिष्ठ श्रेणी (सहायक संचालक)	म0प्र0 वित्त सेवा, द्वितीय श्रेणी	410	269

7	तथ्यांक प्रशासक	म0प्र0 कोषालयीन सूचना, प्रौद्योगिकी सेवा, द्वितीय श्रेणी, तकनीकी	09	05
8	सहायक प्रोग्रामर	म0प्र0 कोषालयीन सूचना, प्रौद्योगिकी सेवा, तृतीय श्रेणी, तकनीकी	57	35
9	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी/सहायक कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी/सहायक पेंशन अधिकारी/व्याख्याता लेखा प्रशिक्षण शाला/कनिष्ठ लेखा अधिकारी, संचालनालय कोष एवं लेखा, म0प्र0 भोपाल	म0प्र0अधीनस्थ लेखा सेवा, तृतीय श्रेणी	1087	449
10	वरिष्ठ निज सहायक	द्वितीय श्रेणी	01	01
11	निज सहायक	तृतीय श्रेणी	02	02
12	शीघ्रलेखक	तृतीय श्रेणी	08	03
13	अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	04	00
14	लेखा सहायक	तृतीय श्रेणी	177	96
15	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	639	454
16	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	767	438
17	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	12	10
18	दफ्तरी	चतुर्थ श्रेणी	46	26
19	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	410	302
20	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी	08	05
21	जमादार	चतुर्थ श्रेणी	01	00
22	स्वीपर	चतुर्थ श्रेणी	01	01

संचालक/वित्त नियंत्रक, अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक एवं सहायक संचालक के पद म.प्र. वित्त सेवा संवर्ग के पद है जबकि तथ्यांक प्रशासक का पद म.प्र. कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी सेवा का पद है। इन संवर्गो का नियंत्रण म.प्र.शासन, वित्त विभाग द्वारा किया जाता है। जबकि म.प्र.अधीनस्थ लेखा सेवा, वरिष्ठ निज सहायक

/निज सहायक/शीघ्र लेखक, सहायक प्रोग्रामर तथा सहायक ग्रेड–1 (कोषालयीन लिपिक सेवा) का संवर्ग प्रबंधन संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता हैं ।

2.4 मुख्य दायित्वः–

(i) कोष प्रचालन :– प्रदेश के 56 जिला कोषालय तथा 157 उप कोषालयों का प्रशासकीय नियंत्रण संचालनालय, कोष एवं लेखा के अधीन है। नवीन कोषालयों की स्थापना तथा कोषालयों के संचालन का दायित्व संचालनालय, कोष एवं लेखा का है।

2.4 उपलब्धियॉः–

(ii) वेतन निर्धारण/कोष निरीक्षण/आंतरिक लेखा परीक्षण :–

राज्य के सभी शासकीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की जांच का दायित्व संचालनालय, कोष एवं लेखा के अधीन है। राज्य शासन द्वारा दिनांक 1.1.2006 से मध्यप्रदेश पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया गया। विभाग द्वारा निरंतर वेतन निर्धारण प्रकरणों की जांच की जाती रही है। प्रकरणों के निराकरण के लिए संभागीय संयुक्त संचालकों द्वारा समय–समय पर वेतन निर्धारण शिविरों का भी आयोजन किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि लंबित वेतन निर्धारण प्रकरणों की संख्या में कमी आ रही है। विगत 3 वर्षों में निराकृत वेतन निर्धारण प्रकरणों की संख्या तालिका–2.2 में दी गई है :–

तालिका 2.2

वर्ष	वेतन निर्धारण प्रकरण
2012–13	55796
2013–14	39569
2014–15(31.12.14 तक)	27187

प्रदेश के सभी कोषालयों तथा उप कोषालयों का म0प्र0 कोषालय संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण का दायित्व भी संचालनालय, कोष एवं लेखा का है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश के शासकीय कार्यालयों का लेखा परीक्षण महालेखाकार म0प्र0 द्वारा किया जाता है, किन्तु कार्यालयों के आंतरिक लेखा परीक्षण के लिये संचालनालय, कोष एवं लेखा में भी एक आडिट शाखा स्थापित है। भोपाल में स्थित एवं भोपाल के बाहर विभागाध्यक्ष कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण संचालनालय द्वारा

किया जाता है। अन्य जिला कार्यालयों का आन्तरिक लेखा परीक्षण संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है।

गत तीन वर्षों में संचालनालय, कोष एवं लेखा के अन्तर्गत आने वाले कोषालयों/ उप कोषालयों में किये गये कुल निरीक्षण तथा विभिन्न विभागों के आंतरिक अंकेक्षण तथा वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित विशेष अंकेक्षण की स्थिति तालिका 2.3 में दर्शायी है।

तालिका 2.3

वर्ष	अंकेक्षण	विभागीय निरीक्षण	विशेष अंकेक्षण
2012–13	78	148	42
2013–14	106	175	55
2014–15 (31.12.14 तक)	68	147	48

(iii) विभागीय प्रशिक्षण :– संचालनालय,कोष एवं लेखा के अन्तर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीन नीतियों एवं गतिविधियों से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका प्रबंधन संचालनालय,कोष एवं लेखा की प्रशिक्षण शाखा द्वारा किया जाता है।

म0प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में आयोजित विभागीय प्रशिक्षण के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 134 अधिकारियों/ कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अलावा राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद में 60 वित्त सेवा अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

(iv) लेखा प्रशिक्षण :– राज्य के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को लेखाओं से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए 07 लेखा प्रशिक्षण शालायें स्थापित हैं। लेखा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत संबंधित कर्मचारियों की परीक्षा ली जाती है एवं परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस प्रकार राज्य के तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के लेखा प्रशिक्षण के दायित्व का निर्वहन भी संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है।

(1) संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा फरवरी, 2014 में आयोजित लेखा प्रशिक्षण परीक्षा में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या तालिका 2.4 में दर्शायी गई है –

तालिका 2.4

वर्ष	सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या
फरवरी–2014	170	102

(2) म0प्र0अधीनस्थ लेखा सेवा (विभागीय) परीक्षा भाग–2 में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या :–

वर्ष	सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या
जून–2014	175	87

(v) लेखा :– कोषालयों द्वारा मासिक लेखे तैयार कर महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर को प्रेषित किये जाते हैं। समय–सीमा में लेखाओं के प्रेषण का पर्यवेक्षण भी संचालनालय,कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है।

(vi) सूचना का अधिकार :–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत संचालनालय कोष एवं लेखा के कार्य को जनता के प्रति जवाबदेह, बनाने एवं पारदर्शी प्रशासन बनाये रखने के लिये अधिनियम के प्रावधानानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। संभाग एवं जिला स्तर के कार्यालयों में भी लोक सूचना अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्तियां की जा चुकी हैं। शिकायतों के निराकरण तथा उस पर समय–सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम के प्रावधानानुसार अपीलीय अधिकारियों की भी नियुक्तियां की गयी हैं।

संचालनालय कोष एवं लेखा की सूचना के अधिकार से संबंधित समस्त जानकारियां संचालनालय की बेवसाइट–www.mptreasury.org पर उपलब्ध कराई गई हैं।

(vii) महिला नीति :–

म0प्र0 की महिला नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु सहायक संचालक, संचालनालय,कोष एवं लेखा को विभाग का नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

(viii) एकीकृत कोषालयीन कम्प्यूटराईजेशन परियोजना :–

(1) मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के अधीन समस्त कोषालय/उप कोषालय/ संभागीय कार्यालयों की कार्य प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु दिनांक 01.04.2004 से संचालनालय, कोष एवं लेखा में राज्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (SFMS) प्रारंभ की गई। यह प्रणाली डिस्ट्रीव्यूटेड आर्कीटेक्चर पर आधारित थी जिसमें सभी कोषालय में पृथक–पृथक सर्वर एवं संचालनालय में एक केन्द्रीय सर्वर संस्थापित कर VSAT प्रणाली से जोडा गया। (परियोजना को 10^{th} National Conference of e- governance अन्तर्गत Gold Icon National award for e-governance प्राप्त हुआ है) SFMS को दिनांक 19–11–11 से केन्द्रीयकृत किया जाकर सी–एस0एफ0एम0एस0 लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत अब 56 कोषालयों में स्थापित सर्वरों के स्थान पर केवल भोपाल में कोष एवं लेखा संचालनालय में सेंट्रल सर्वर पर संपूर्ण कार्य सम्पादित हो रहा है। सिस्टम की उपलब्धता 24×7 हुई है। केन्द्रीयकृत व्यवस्था अन्तर्गत प्राथमिक नेटवर्क के रूप में MPSWAN का एवं बैकअप के रूप में VPNoBB का उपयोग किया जा रहा है। सिस्टम अप–टाईम लगभग शतप्रतिशत रहा है।

सी–एस0एफ0एम0एस0 लागू होने से प्रभावी वित्तीय नियंत्रण, सुदृढ़ कोषालयीन प्रणाली, सूचना प्रबंधन प्रणाली, शासकीय कर्मचारियों का डाटाबेस, व्यवसायिक एवं सायबर ट्रेजरी में सुचारू रूप से कार्य संपादन हो रहा है।

(2) बजट प्रकिया :–

विभागों द्वारा आहरण अधिकारियों को जारी बजट, सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से कोषालयों को विभागाध्यक्ष कार्यालयों द्वारा ही प्रेषित किये जा रहे हैं। बजट नियंत्रण अधिकारी से आहरण अधिकारी को बजट आवंटन की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिये **ग्लोबल बजट प्रणाली** लागू की गई। ग्लोबल बजट प्रणाली में आहरण अधिकारियों द्वारा पारित किए जाने वाले देयकों के लिये राशि सीधे बजट नियंत्रण अधिकारी के पास उपलब्ध बजट से व्यय की जाती है। इस प्रणाली में आहरण अधिकारियों को बजट जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। वेतन भत्ते, टी.ए., मेडिकल, विद्युत, टेलीफोन से संबंधित उद्देश्य शीर्ष ग्लोबल किये गये है। इसके अलावा प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से किसी

बजट लाईन को ग्लोबल करने का निर्णय ले सकता है। इस प्रक्रिया से समय/श्रम/धन की बचत हुई हैं तथा बचत/समर्पण आसान हुआ है।

(3) शासकीय कर्मचारियों का डाटाबेस :–

(a) परियोजना में प्रदेश के समस्त 4,70,846 नियमित कर्मचारियों के एम्प्लाई, पे–रिकार्ड तथा पोस्ट डाटाबेस संधारित किये गये हैं। लगभग शत् प्रतिशत नियमित कर्मचारियों के वेतन देयक कोषालयीन कम्प्यूटर प्रणाली से जनरेट किये जा रहे हैं। समस्त सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांकों को महालेखाकार द्वारा डेटाबेस से जोड़ा जा चुका है जिससे जी0पी0एफ0 जमा राशियों में विसंगतियॉ न्यूनतम हुई हैं।

(b) **दैनिक वेतन भोगी, गैंगमेन आदि कर्मचारियों का डाटाबेसः–** परियोजना अन्तर्गत दैनिक वेतन भोगी, गैंगमेन आदि कर्मचारियों के एम्पलाई डाटाबेस अनुसार ही 89 हजार से अधिक गैर नियमित कर्मचारियों का डाटाबेस संधारित किया जा रहा है। इन कर्मचारियों का मासिक वेतन देयक इस डाटाबेस के आधार पर तैयार किया जा रहा है।

(4) टेलीफोन/विद्युत कनेक्शन डेटाबेस का निर्माण :– परियोजना अन्तर्गत किया जाकर बी0एस0एन0एल0 एवं मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी को ई–पेमेंट के माध्यम से सुचारू रूप से प्रतिमाह किया जाता है।

(5) ऑन लाईन बिल प्रस्तुतीकरण :– केन्द्रीयकृत राज्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली अन्तर्गत समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को एम0पी0 स्वान/VPNoBB कनेक्टिविटी के द्वारा सिस्टम में स्थित पे रिकार्ड एम्पलाई डाटाबेस की सहायता से वेतन देयकों को कोषालयों में ऑन लाईन जनरेट एवं प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा आहरण एवं संवितरण अधिकारी कोषालयों में सहायता अनुदान, कार्यालय व्यय एवं अन्य देयक ऑन लाईन प्रस्तुत कर सकते हैं।

वर्ष 2013–14 में कोषालयों में 73 प्रतिशत देयकों का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण हुआ। वर्ष 2014–15 में 80 प्रतिशत देयकों का कोषालयों में आनलाइन प्रस्तुतीकरण हुआ। गैर नियमित जैसे संविदा, दैनिक वेतन भोगी, गैंगमेन आदि के वेतन देयकों के लिए डाटाबेस का विकास एवं वेतन देयक जनरेशन प्रारंभ किया गया है।

(6) ई–भुगतान प्रणाली :–

वर्तमान कोषालयीन कम्प्यूटराईजेशन प्रणाली से ई–भुगतान प्रणाली प्रारंभ की गई है। इस प्रणाली के अन्तर्गत म0प्र0 के समस्त कोषालयों से एजेन्सी बैंक द्वारा दी गई कार्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करते हुये तत्काल राशि प्राप्तकर्ता के खाते में जमा हो जाती है। इस प्रणाली से मानव श्रम तथा शासकीय व्यय की कमी के साथ–साथ चेक के माध्यम से भुगतान में होने वाले विलंब को लगभग शून्य कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में कोषालयों में प्राप्त कुल देयकों का 94 प्रतिशत तथा भुगतान राशि का 95 प्रतिशत ई–भुगतान के माध्यम से किया गया है। इस हेतु लगभग 75 लाख वेण्डर्स का डेटाबेस तैयार किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा एक चेरीटेबल ट्रस्ट के रूप में मान्य स्कॉच डेवलपमेंट फाउण्डेशन द्वारा दिनांक 18–9–2012 को स्कॉच डिजीटल इन्क्लूजन अवार्ड समारोह, नईदिल्ली में राज्य को स्टेट ऑफ दी ईयर अवार्ड दिया गया। इसके प्रशस्ति पत्र में ई–पेमेंट फंक्शनलिटी को पृथक से गोल्ड अवार्ड दिया गया है। दिनांक 31–3–2014 तक 4.62 करोड़ ट्रांजेक्शन एवं रूपये 1642 अरब 76 करोड़ राशि का भुगतान इस प्रणाली से हुआ है। उक्त व्यवस्था से सभी 11000 से अधिक डी0डी0ओ0 जुड़े हुए हैं।

केन्द्रीयकृत राज्य वित्तीय प्रबंध प्रणाली, (C-SFMS)

केन्द्रीयकृत राज्य वित्तीय प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकार व्दारा 99 प्रतिशत भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जा रहा है, जो वित्तीय प्रबंधन के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम है।

समस्त एजेन्सी बैक अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैक ऑफ इंडिया, यूनियन बेंक ऑफ इंडिया में ई भुगतान व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप समस्त 56 कोषालय एवं 157 उप कोषालयों में ई–भुगतान प्रणाली प्रचलित है। वर्ष 2013–14 में कोषालयों के माध्यम से अन्य विभागों द्वारा किए जा रहे ई–भुगतान का प्रतिशत 95 प्रतिशत है। निर्माण विभागों (लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय इत्यादि) द्वारा किए जा रहे भुगतान का प्रतिशत 74 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में कोषालयों के भुगतान में ई–भुगतान का प्रतिशत 99 प्रतिशत है। निर्माण विभागों द्वारा किए गए भुगतान का प्रतिशत 91 प्रतिशत हो गया है।

(7) **साईबर ट्रेजरी** :– विभाग द्वारा, शासन के पक्ष में जमा की जाने वाले राशियों को अधिकाधिक ई–प्राप्तियों के माध्यम से जमा करने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग की वेबसाईट www.mptreasury.org पर साईबर ट्रेजरी के माध्यम से विभिन्न विभागों से संबंधित राशियां ऑन लाईन जमा की जा सकती है। 01 जुलाई, 2014 से सायबर कोषालय से समस्त विभागों की प्राप्तियॉ, सायबर कोषालय पर जमा की जा रही हैं। 10 सितम्बर 2014 से रियल टाइम चालान नंबर जनरेशन सुविधा विकसित की जा चुकी है जिसके अंतर्गत जमाकर्ता द्वारा राशि का भुगतान करते ही उसे कोषालय प्रदत्त चालान संख्या के साथ प्रिंट आउट प्राप्त होता है। वित्त वर्ष 2013–14 में ₹ 14,233.63 करोड़ तथा वर्ष 2014–15 में 31.12.2014 तक ₹ 12,210.01 करोड़ राशि सायबर कोषालय के माध्यम से जमा हुई है।

कोषालय में व्यक्तिगत जमा खाता

कोषालय में विभिन्न विभागों के संधारित व्यक्तिगत जमा खातों के इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के व्दारा संव्यवहार की व्यवस्था लागू की गई है।

₹ 10,000/– तक की छोटी जमा राशियों के लिए एम.पी. ऑन लाइन के ओस्क के माध्यम से राज्य को देय राशियॉ जमा करने हेतु इंटीग्रेशन पूर्ण किया जा चुका हैं। फलस्वरूप ऐसे जमाकर्ताओं को जिनके पास ई–बैंकिंग सुविधा नहीं है, सायबर कोषालय के माध्यम से राशि जमा करने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

(8) सूचना प्रबंधन प्रणाली :–

राज्य के आय–व्यय की अद्यतन वर्गीकृत जानकारी वेबसाईट www.mptreasury.org व mptreasury.gov.in पर उपलब्ध है जो विभिन्न नीतिगत निर्णयों के लिये उपयोगी हैं। विभाग की वेबसाईट पर विभागीय संरचना वित्त एवं लेखा प्रक्रिया से संबंधित अद्यतन नियम निर्देशों की जानकारी के साथ आय एवं व्यय की वर्गीकृत जानकारी, बजट आवंटन की अद्यतन स्थिति, जमा कराये गये चालानों का विवरण, सूचना के अधिकार का ब्यौरा इत्यादि संधारित है। इसके अलावा पेंशन भोगियों के उपयोग हेतु पी0पी0ओ0 की अद्यतन स्थिति, कोषालय बिल की अद्यतन स्थिति तथा राज्य के समस्त कर्मचारियों की वेतन पर्ची भी उपलब्ध हैं।

वेबसाईट पर विभागवार, डी0डी0ओ0वार, शीर्ष वर्गीकरणवार आवंटन एवं व्यय की जानकारी उपलब्ध है, जिसका उपयोग राज्य शासन के विभिन्न विभागों, विभागाध्यक्षों,

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा किया जाता है। वेबसाईट से किसी कर्मचारी, अधिकारी, पेंशनर्स अथवा वेण्डर को शासन द्वारा किये गये ई–भुगतानों की जानकारी उसके खाते क्रमांक के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। शासन के पक्ष में जमा की गई राशियों से संबंधित चालानों का विवरण वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(9) अन्य सुविधाएँ :–

- व्यक्तिगत निक्षेप खातों से बैंक खातों की तरह आन लाइन आहरण की सुविधा दिनांक 1.9.2014 से लागू की गई है, फलस्वरूप कोषालयों में संधारित पी.डी. खातों से प्रशासकों द्वारा अपने कार्यालय में बैठकर बिना कोषालय जाये भुगतान किए जा सकते हैं।
- जी.पी.एफ खाता क्रमांकों की एम्पलाई डाटाबेस से मेपिंग एवं उनके कटोत्रो का कोषालयीन कम्प्यूटर प्रणाली में संधारण प्रारंभ किया गया।
- म0प्र0 भवन नई दिल्ली इत्यादि कार्यालयों मे एल.ओ.सी. की व्यवस्था समाप्त की गई है । नई दिल्ली स्थित म0प्र0 शासन के समस्त कार्यालयों के आहरण संवितरण के कार्य संपादन हेतु नई दिल्ली उप कोषालय प्रारंभ किया जा चुका है।
- **निर्माण विभागों एवं वन विभाग की आहरण प्रणाली :–** उक्त प्रणाली के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति से 10 प्रतिशत से अधिक भुगतान नहीं किया जा सकता है, फलस्वरूप उक्त विभागों की कार्य प्रणाली में सुधार आया है।

(10) IFMIS परियोजना

सी–एस.एफ.एम.एस. परियोजना के अनुभवों तथा भविष्य में आने वाली वित्तीय प्रबंधन एवं मानव संसाधन चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुये समेकित वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह परियोजना मानव संसाधन, सेवा दक्षता प्रबंधन, अंकेक्षण, बजट, व्यय एवं लेखांकन इत्यादि की व्यापकता को एकीकृत कर प्रभावकारी वित्त प्रबंधन में सहायक होगी। इसके अतिरिक्त म.प्र. शासन के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के प्रबंधन करने में भी यह परियोजना सहायक होगी। इस परियोजना के लागू होने से शासकीय वित्तीय एवं मानव संसाधन प्रबंधन की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार की संभावना है।

परियोजना का संचालन संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा किया जा रहा है। परियोजना के महत्वपूर्ण हितधारक शासन के समस्त विभाग, विभागाध्यक्ष, बजट नियंत्रण अधिकारी, कार्यालय प्रमुख/डी.डी.ओ. संचालनालय वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, संचालनालय कोष एवं लेखा, पेंशन संचालनालय, संचालनालय संस्थागत वित्त, महालेखाकार, सार्वजनिक लोक उपक्रम, भारतीय रिजर्व बैंक, एजेंसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाऍं समस्त विभागीय कार्यालय, संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा कोषालय, उप कोषालय, जिला पेंशन कार्यालय, लेखा प्रशिक्षण शालायें, व्यापारी फर्म कर्मचारी, पेंशनर्स एवं आम नागरिक होंगें। परियोजना का पायलट गो–लाईव वित्तीय वर्ष 2014–15 में तथा गो–लाईव वित्त वर्ष 2015–16 में संभावित है।

शासन के प्रमुख विभागों में वित्तीय सलाहकार प्रणाली

राज्य शासन की बढ़ती हुई विकास गतिविधियों एवं शासन स्तर पर अधिक वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन को दृष्टिगत रखते हुए शासन के प्रमुख विभागों में 10 वित्तीय सलाहकार की पदस्थापना का निर्णय लिया गया। जो निम्नानुसार हैः–

(1) नगरीय विकास विकास एवं पर्यावरण विभाग, (2) स्कूल शिक्षा विभाग, (3) ग्रामीण विकास विभाग, (4) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, (5) महिला एवं बाल विकास विभाग, (6) वन विभाग, (7) गृह विभाग, (8) जल संसाधन विभाग, (9) लोक निर्माण विभाग, (10) उर्जा विभाग।

उपरोक्त पॉच विभागों में वित्तीय सलाहकार की पदस्थापना कर दी गई है।

अध्याय 3
संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा

3.1. सामान्य जानकारी :–

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा की स्थापना दिसम्बर 1955 में की जाकर संचालनालय को महालेखाकार कार्यालय द्वारा संपादित कार्य स्थानांतरित किये गये। नगरीय निकायों तथा पंचायत राज से संबंधित अधिनियमों को ध्यान में रखते हुये वर्ष 1973 में म.प्र. स्थानीय निधि संपरीक्षा, अधिनियम 1973 एवं इसके अधीन म.प्र. स्थानीय निधि संपरीक्षा नियम 1974 प्रभावशील किये गये हैं।

संचालनालय द्वारा संपरीक्षित स्थानीय निकायों की जानकारी **परिशिष्ट–एक** पर दर्शित है।

वर्ष 2014–15 के दौरान संचालनालय द्वारा 31 मार्च 2014 तक 13,140 स्थानीय निकायों की वित्त वर्ष की पश्चातवर्ती संपरीक्षा संपादित की गई तथा 97 स्थानीय निकायों के लेखों की संपरीक्षा आवासीय संपरीक्षा प्रणाली से सम्पन्न हो रही है। संचालनालय द्वारा संपरीक्षा उपरांत स्थानीय निकाय को जारी किये गये संपरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से वित्तीय अनियमितताओं के साथ–साथ महत्वपूर्ण गंभीर प्रकृति की आपत्तियों की ओर राज्य शासन एवं स्थानीय निकायों के संबंधित उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया है। म.प्र. शासन वित्त विभाग के आदेश क्र. एफ–1(सी)/1/2006/चार, भोपाल दिनांक 9.11.06 से स्थानीय निकायों के लंबित संपरीक्षा आपत्तियों के निराकरण हेतु संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया जिसके माध्यम से दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 31.12.2014 तक कुल 10,156 आपत्तियों का निराकरण कराया गया है।

3.2 स्वीकृत अमले की स्थिति :–

संचालनालय के अन्तर्गत 01, संचालनालय प्रकोष्ठ भोपाल, 07, उप संचालक क्षेत्रीय कार्यालय (ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, रीवा एवं उज्जैन) संचालित है।

संचालनालय में स्वीकृत एवं कार्यरत अमले की दिनांक 31.12.2014 की स्थिति इस प्रकार हैः–

क्र.	संवर्ग	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	संचालक	01	01	—	संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा अतिरिक्त प्रभार में।
2.	अपर संचालक	01	—	01	—
3	संयुक्त संचालक	10	01	09	—
4	उप संचालक	16	08+01	07	01 उप संचालक कोष एवं लेखा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ।
5	सहायक संचालक	94	44+05	45	01 सहायक संचालक कोष एवं लेखा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है तथा 04 तिलहन संघ से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ।
6	ज्येष्ठ संपरीक्षक / जिला अंकेक्षक	287	253+09	25	09 तिलहन संघ से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ।
7	सहायक संपरीक्षक / उप अंकेक्षक	605	222	383	—
8	कार्यालय अधीक्षक	01	01	—	—
9	मुख्य लिपिक	07	05	2	—
10	शीघ्रलेखक	02	01+01	—	01 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।
11	रोकड़िया	01	01	—	—
12	सहायक ग्रेड–दो	36	21	15	—
13	सहायक ग्रेड–तीन	92	53	39	04 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।
14	सहायक ग्रेड–तीन संविदा आधारित	100	53	47	—
15	आशुलिपिक	04	02	02	—
16	गणक	01	01	—	—
17	सुपरवाईजर	01	01	—	—
18	दफ्तरी	01	01	—	—
19	भृत्य सह फर्राश	98	61+08	29	08 कर्मचारी तिलहन संघ से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ।
20	प्रोसेस सर्वर	04	01	03	—
21	वाहन चालक (नियमित वेतनमान)	02	01	01	—
22	चौकीदार (नियमित वेतनमान) जिलाध्यक्ष दर	08	01+02	05	—
	योग	**1372**	**759**	**613**	

3.3 संपरीक्षा शुल्क :–

स्थानीय निकायों की संपरीक्षा किये जाने पर शासन द्वारा निर्धारित दर से संपरीक्षा शुल्क अधिरोपित की जाती है जो राज्य शासन के राजस्व का एक अंग है। दिनांक 31.12.2014 तक संपरीक्षा शुल्क जमा एवं अवशेष की स्थिति इस प्रकार है :–

क.	विवरण	राशि ₹ में
1	2	3
1	दिनांक 31.03.2014 को अवशेष	1998857010
2	वर्ष 2014–15 में अधिरोपित संपरीक्षा शुल्क	960883592
3	कुल मांग	3048420602
4	वर्ष 2014–15 में कुल वसूली	185437273
5	अवशेष राशि (31.12.2014)	2774308929

3.4 प्रशिक्षण :–

संचालनालय के अधिकारियों एंव कर्मचारियों को समय–समय पर म0प्र0 आर0सी0 व्ही0पी0 नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी भोपाल मे संपरीक्षा एवं सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान विषयों पर प्रशिक्षण कराये गये है जिसमे विभाग के कुल 166 अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया है। इसी प्रकार विभागीय तौर पर परामर्शदात्री समिति एवं विभागीय समीक्षा बैठकों में अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर सुझाव एवं जानकारियां दी जाती रही हैं।

3.5 परीक्षाऐं :–

संचालनालय द्वारा जनवरी 2014 एवं जुलाई 2014 में राजपत्रित सेवा के (परि.) अधिकारियों की भाग एक एवं दो के साथ ही अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग एक की परीक्षाऐं आयोजित की गईं जिसका विवरण निम्न हैं :–

क्र.	परीक्षाऐं	सम्मिलित परीक्षार्थी	अन्य विवरण
1	म.प्र.अधीनस्थ लेखा सेवा भाग–एक	16	दि. 07.07.14 से 11.07.14

3.6 **संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रारूपण एवं प्रसारण के संबंध में :–**

संचालनालय के पश्चातवर्ती एवं आवासीय संपरीक्षा दलों द्वारा स्थानीय निकायों के लेखों का अंकेक्षण संपादित कर अंकेक्षण प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किये जाते हैं। इन संपरीक्षा प्रतिवेदनों का परीक्षण एवं अनुमोदन म.प्र. शासन वित्त विभाग के आदेश क्र/एफ–1(सी)/19/2012/ई/चार, भोपाल दिनांक 02.02.2013 अनुसार निर्धारित वास्तविक आय–व्यय सीमा के परिप्रेक्ष्य में सबंधित अधिकारी द्वारा किया जाता हैं। इस अनुमोदन के उपरांत संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से इस प्रतिवेदन को स्थानीय निकाय को प्रसारित करने की प्रकिया अपनाई जाती है।

दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक अंकेक्षण प्रतिवेदन के प्राप्ति एवं प्रसारण की जानकारी निम्नानुसार है :–

1. संपरीक्षा लक्ष्य एवं पूर्ति (अवधि दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक) :–

क्रं.	निकायों के नाम	दि. 01.04.2014 को अवशेष (वित्तीय वर्ष)	वर्ष 2014–15 में निर्धारित लक्ष्य वित्तीय वर्ष	कुल संपादित संपरीक्षा कार्य (वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2014–15 में वर्णित अवधि में प्रसारित संपरीक्षा प्रतिवेदन
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	नगरीय निकाय	1924	1732	1756	177
2.	अन्य संस्थाएं	4193	1472	678	250
3.	कृषि उपज मण्डी समितियां	861	469	182	102
4.	जिला पंचायतें	510	183	79	12
5.	जनपद पंचायतें	2541	1614	583	106
6.	ग्राम पंचायतें	53589	14026	8251	3413
7.	**योग :–**	**63618**	**19496**	**11529**	**4060**

3.7 संपरीक्षा कार्य :–

म.प्र.शासन वित्त विभाग द्वारा संचालनालय के संपरीक्षाधीन स्थानीय निकायों की आवासीय संपरीक्षा प्रणाली की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष 2013–14 से प्रदेश की बडी–बडी स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिक निगम, विश्वविद्यालयों बृहद आय–व्यय वाली नगर पालिकायें, विकास प्राधिकरण, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, पाठय पुस्तक निगम एवं **"अ"** वर्ग की कृषि उपज मण्डी समितियां इस प्रकार कुल 74 इकाईयों में आवासीय संपरीक्षा प्रणाली को प्रभावशील किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 से कुल 16 एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 से कुल 11 स्थानीय निकायों के लिये आवासीय संपरीक्षा प्रणाली प्रभावशील किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं। इस प्रकार वर्ष 2015–16 से कुल 101 स्थानीय निकायों में आवासीय संपरीक्षा प्रभावशील रहेगी। इस संपरीक्षा प्रणाली में संपरीक्षा दल उसी निकाय में पदस्थ रहता है, एवं समस्त व्यय को भुगतान होने से पूर्व देयकों की संपरीक्षा सम्पादित करता है। इस प्रकार गठित आवासीय संपरीक्षा दल का पर्यवेक्षण सहायक संचालकों द्वारा किया जाता है। प्रदेश की अन्य स्थानीय निकायों (लगभग 2100 पश्चात्वर्ती संपरीक्षा एवं कुल 23006 ग्राम पंचायतों) के लेखों की संपरीक्षा संवर्ती एवं पश्चातवर्ती संपरीक्षा प्रणाली से सम्पादित की जाती हैं। इस प्रणाली में संपरीक्षा दल में सामान्यतः एक ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं दो सहायक संपरीक्षक पदस्थ होते हैं। समस्त प्रकार के संपरीक्षा कार्यों का निरीक्षण सहायक संचालक एवं उप संचालाकों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा समय–समय पर अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं संपरीक्षा दलों का निरीक्षण किया जाता है। विहित अवधि में संचालक/संयुक्त संचालक द्वारा 13, उप संचालकों द्वारा 138 एवं सहायक संचालकों द्वारा 168 निरीक्षण किये गये।

उक्त वर्णित आवासीय, संवर्ती एवं पश्चातवर्ती तीनों संपरीक्षा प्रणाली के माध्यम से दिनांक 31.12.2014 तक क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निकायों को जारी किये गये संपरीक्षा प्रतिवेदनों में विभिन्न गंभीर वित्तीय अनियमिततायें स्थानीय निकायों के प्रकाश में लायी गयी हैं। इन अनियमितताओं में वर्णित राशि की जानकारी निम्न

विवरण में अंकित हैं। इस प्रकार इस अवधि में जारी किये गये संपरीक्षा प्रतिवेदनों में कुल राशि ₹1,15,79,42,903.00 की अनियमितताऐं प्रकाश में आई हैं :–

क्र.	आपत्ति का प्रकार	राशि ₹ में
1	2	3
1	**प्रभक्षण :–** वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनांक 31.12.2014 तक की स्थिति में स्थानीय निकायों के लेखों की संपरीक्षा में विभिन्न कर्मचारियों द्वारा किये गये गबन (प्रभक्षण) कुल राशि ₹ 53,46,454/– को प्रकाश में लाया गया।	**5346454.00**
2	**दोहरा भुगतान :–** वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनांक 31.12.2014 तक की स्थिति में स्थानीय निकायों के लेखों की संपरीक्षा में भुगतान देयकों में दोहरा भुगतान को प्रकाश में लाया गया।	**482353.00**
3	**अनियमित भुगतान :–** वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनांक 31.12.2014 तक की स्थिति में स्थानीय निकायों के लेखों में अनियमित व्यय, जैसे–नियमों में किये गये व्यय के प्रावधान नहीं होने तथा सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये बिना व्यय किया जाना पाया गया।	**312827492.00**
4	**अधिक भुगतान :–** वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनांक 31.12.2014 तक की स्थिति में स्थानीय निकायों के लेखों के संपरीक्षा में व्यय किया जाना पाया गया जिसमें शासन द्वारा विभिन्न व्यय के लिये सीमा निर्धारित की गयी है जबकि इस सीमा से अधिक व्यय किया गया।	**474431493.00**
5	**संपरीक्षा के दौरान कटोत्रा :–** वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनांक 31.12.2014 तक की स्थिति में जिन निकायों में आवासीय संपरीक्षा प्रणाली प्रभावशील है, उनमें भुगतान देयकों के पारित करते समय देयकों से राशि का कटोत्रा कर देयक पारित किये गये।	**355252967.00**
6	संपरीक्षा आपत्ति के कारण स्थानीय निकाय द्वारा की वसूली।	**9602144.00**
	महायोग	**1,15,79,42,903.00**

3.8 **त्रिस्तरीय पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा** :–

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के आदेश कमांक/एफ–1/33/2001/ई/चार, दिनांक 12.01.2007 द्वारा विभाग को अप्रैल 2008 से ग्राम पंचायतों का संपरीक्षा कार्य सौंपा गया है। प्रदेश में 51 जिला 313 जनपद एवं 23006 ग्राम पंचायत है। इस वितीय वर्ष में जिला पंचायतों के 79 वित्तीय वर्ष, जनपद पंचायतों के 583 वित्तीय वर्ष तथा ग्राम पंचायतों के 8251 वित्तीय वर्ष के लेखों की संपरीक्षा पूर्ण की गई हैं।

3.9 **प्रभक्षण** :–

पश्चातवर्ती एवं आवासीय संपरीक्षा के माध्यम से सम्पादित स्थानीय निकायों की संपरीक्षा में अंकेक्षण दलों द्वारा प्रकाश में आये प्रभक्षण प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है :–

राशि ₹ में

क्र	विवरण	रिमार्क
1	2	3
1	दिनांक 31.12.2014 तक प्रकाश में लाये गये गबन प्रकरणों में से अवशेषों प्रकरणों की संख्या	**4380**
2	वर्ष 2014–15 के दौरान प्रकाश में आये गबन प्रकरणों की संख्या	**102**
3	कुल गबन प्रकरणों की संख्या	**4482**
4	इन गबन प्रकरणों में सम्मिलित कुल राशि	**151174113/–**
5	वर्ष में जमा की गई प्रभक्षित राशि	**5533524/–**
6	अवशेष राशि (दिनांक 31.12.2014 की स्थिति में)	**145640589/–**

3.10 **अंकेक्षण आपत्तियों के निराकरण के संबंध में** :–

संचालनालय द्वारा संपादित पश्चातवर्ती संवर्ती एवं आवासीय संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में लाये गये आक्षेपों का निराकरण स्थानीय निकायों के पालन प्रतिवेदन के आधार पर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति द्वारा निराकृत किये गये आक्षेपों की स्थिति इस प्रकार है:–

क्र.	विवरण	संख्या
1	2	3
1	दिनांक 31.12.2014 को अवशेष आक्षेपों की संख्या	**1174872**
2	वर्ष 2013–14 (31.12.2014 तक) में प्रकाश में आये आक्षेपों की संख्या	**109535**
3	कुल आक्षेपों की संख्या	**1554407**
4	वर्ष में (31.12.2014 तक) निराकृत आक्षेपों की संख्या	**11156**
5	अवशेष आक्षेपों की संख्या(31.12.2014)	**1544251**

3.11 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन :–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–18 एवं धारा **'क'** के अन्तर्गत इस संचालनालय के निम्नलिखित कार्यालयों के लिये क्रमशः अपीलीय अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी निम्नानुसाार नामांकित किये गये हैं :–

क्र.	कार्यालय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी
1	2	3	4	5
1	संचालनालय ग्वालियर	संयुक्त संचालक	उप संचालक	सहायक संचालक
2	संचालनालय (प्रकोष्ठ) भोपाल	संयुक्त संचालक	उप संचालक	सहायक संचालक
3	क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय उप संचालक	सहायक संचालक	ज्येष्ठ संपरीक्षक

आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा के आदेश क्रमांक 425 दिनांक 17.10.2011 द्वारा संयुक्त संचालक को स्थानीय निधि संपरीक्षा ग्वालियर को प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्ति किया गया है।

संचालनालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार समुचित कार्यवाही की जा रही है। संचालनालय में दिनांक 01.01.2014 से दिनांक

31.12.2014 तक 46 आवेदन प्राप्त हुये थे जिनमें से 39 आवेदनों का निराकरण किया गया तथा निराकरण हेतु शेष आवेदनों की संख्या 07 है।

3.12 राज्य की महिला नीति एवं कार्य योजना :–

राज्य की महिला नीति की सत्त समीक्षा हेतु उप संचालक **(मुख्या.)** को यह दायित्व सौंपा गया हैं। संचालनालय में महिला शासकीय सेवकों को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है तथा लिंग के आधार पर विभेद नहीं करते हुये पुरूषों के समान शासकीय कार्यार्थ अवसर प्रदान किये गये हैं।

परिशिष्ट–एक

संस्थाओं का विवरण जिनका आडिट स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा किया जाता हैं :–

क्र.	निकाय का नाम	ईकाईयों की संख्या
1.	जिला पंचायत	51
2.	जनपद पंचायत	313
3.	ग्राम पंचायत	23006
4.	नगर पालिका निगम	16
5.	नगर पालिका	98
6.	नगर परिषद्	264
7.	जिला शहरी विकास अभिकरण	51
8.	विकास प्राधिकरण	06
9.	कृषिसमिति	235
10.	पशु कल्याण समिति	51
11.	रोगी कल्याण समिति	360
12.	माध्यमिक शिक्षा मण्डल	01
13.	पाठ्य पुस्तक निगम	01
14.	विश्वविद्यालय(राजा मानसिंह तौमर संगीत वि.वि. एवं राजमाता विजया राजे सिंधिया कृ.वि.वि. ग्वालियर सहित)	16
15.	तकनीकी संस्थाऐं	04
16.	शा. अनुदान प्राप्त महाविद्यालय/हाईस्कूल/प्राथमिक विद्यालय	551
17.	विधिक सहायता बोर्ड	51
18.	मुख्य मंत्री सहायता कोष	51
19.	कृषि विपणन बोर्ड एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालय	08
20.	गन्ना विकास परिषद	06
21.	सांस्कृतिक अकादमी परिषद बोर्ड, विविध संस्थायें (गांधी शताब्दी लेखों को छोड़कर)	154
22.	ब्रिस्क खाते	51
23.	ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण	01
24.	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	02
25	औकाफ	01
	योग :	**25349**

अध्याय–4
संचालनालय,संस्थागत वित्त

4.1 सामान्य जानकारीः–

संस्थागत वित्त संचालनालय का गठन नवम्बर 1977 में सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन एक कक्ष के रूप में किया गया था। दिसम्बर 1979 में संस्थागत वित्त संचालनालय को वित्त विभाग के अधीन किया गया। मई 1980 में संचालक, संस्थागत वित्त संचालनालय को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया। दिनांक 31 अक्टूबर 2009 द्वारा संचालनालय अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज को समाप्त करने के फलस्वरुप इस संचालनालय के कर्मचारियों को संचालनालय संस्थागत् वित्त के अधीन लिया गया है।

संचालनालय के मुख्य दायित्व निम्नांकित हैं :–

1. कृषि, उद्योग, शिक्षा, रोजगार, सामुदायिक विकास आदि से संबंधित शासन प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत वित्त मामलों में विभिन्न संस्थाओं (SLBC / DLCC / BLBC / Banks / Financial Institutions / RBI / NABARD / SIDBI / NHB) के साथ समन्वय।

2. वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य सम्पादन में आने वाली बाधाओं /समस्याओं का निराकरण कर प्रदेश में बैंकिंग कार्यकलापों का अपेक्षित विस्तार करना।

3. अग्रणी बैंक योजना, जिला ऋण योजना, राज्य साख योजना से संबंधित कार्य, राज्य और जिला स्तर पर समन्वय समितियों से जुड़े कार्य।

4. बैंकों की क्षेत्रीय सलाहकार समिति से संबंधित कार्य तथा सामान्य बैंकिंग से संबंधित प्रकरणों का निराकरण।

5. वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण से संबंधित आंकड़ों का प्रसंस्करण।

6. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु नोडल अधिकारी के रुप में कार्य।

7. जन निजी भागीदारी परियोजनाओं हेतु नोडल अधिकारी के रुप में कार्य।

8. अल्प बचत संबंधी कार्य।

4.2 संचालनालय संस्थागत वित्त तथा अधिनस्थ कार्यालय के लिये म.प्र.शासन वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ–19/4/2007/ई/चार, दिनांक 31/10/2009 द्वारा स्वीकृत पद निम्नानुसार हैः–

पदनाम	स्वीकृत पद	
संचालक	01	
अपर संचालक	01	
संयुक्त संचालक	02	
सहायक संचालक	01	यह पद मृत संवर्ग का है
लेखाधिकारी	01	
लेखापाल	01	
लेखापाल–विशेष वेतन रू.250/–	01	यह पद मृत संवर्ग का है
प्रोग्रामर	01	
सहायक प्रोग्रामर	01	
कनिष्ठ लेखाधिकारी	01	
वरिष्ठ जिला संस्थागत वित्त अधिकारी	01	यह पद मृत संवर्ग का है
जिला संस्थागत वित्त अधिकारी	16	यह पद मृत संवर्ग का है
क्षेत्रीय सहायक	31	यह पद मृत संवर्ग का है
स्टेनोग्राफर ग्रेड–1	01	
स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	01	
स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	04	इनमें से 02 पद मृत संवर्ग के हैं
सहायक सांख्यिकी अधिकारी	02	
सहायक ग्रेड–1	12	इनमें से 11 पद मृत संवर्ग के हैं
सहायक ग्रेड–2	07	इनमें से 06 पद मृत संवर्ग के हैं
सहायक ग्रेड–3 /टायपिस्ट	18	इनमें से 12 पद मृत संवर्ग के हैं
वाहन चालक	08	इनमें से 04 पद मृत संवर्ग के है तथा शेष 04 पदों में से 01 पद कलेक्टर दर पर स्वीकृत हैं ।
दफ्तरी/जमादार	02	इनमें से 01 पद मृत संवर्ग का हैं
भृत्य/फर्राश/चौकीदार/स्वीपर	27	इनमें से 18 पद मृत संवर्ग के हैं तथा शेष 09 पदों में से 02 पद कलेक्टर दर पर स्वीकृत है ।
कुल पद	**141**	

4.3 बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु परियोजना प्रबंध इकाईः–

संस्थागत वित्त संचालनालय के अधीन जून 1996 से परियोजना प्रबंध इकाई स्थापित है। भारत सरकार के नीतिगत निर्णय अंतर्गत विकासपरक नीतियों को मूर्त रूप देने हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन बाह्य (विदेशी) वित्तीय सहायता के माध्यम से जुटाये जाते हैं। इन नीतियों के अंतर्गत कियान्वित परियोजनाओं में एकरूपता लाने के उद्देश्य से संस्थागत वित्त संचालनालय द्वारा विभाग, भारत सरकार एवं बाह्य वित्त पोषित एजेंसियों के मध्य समन्वयक की भूमिका निभाने का कार्य किया जाता है, जिससे अधिकाधिक विदेशी सहायता का प्रवाह समयबद्ध कार्यक्रमानुसार सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश में प्रचलित बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं की उच्च स्तरीय सावधिक समीक्षा की जाती है।

प्रदेश में बाह्य वित्तीय सहायता से संचालित की जा रही परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

बाह्य वित्तीय सहायता से संचालित परियोजनाऐं :–

(₹ करोड़ में)

क	परियोजना का नाम	विभाग	बाह्य वित्तदायी संस्था	परियोजना लागत	प्रगति		
					2012-13	**2013-14**	**2014-15 (Dec.14)**
1	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भाग – i	ऊर्जा	ए.डी.बी.	589.63	20.70	परि.पूर्ण	परियोजना पूर्ण
2	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भाग –ii		ए.डी.बी.	250.31	41.16	14.93	परियोजना पूर्ण
3	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भाग – iii		ए.डी.बी.	819.00	43.17	28.63	परियोजना पूर्ण
4	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भाग – iv		ए.डी.बी.	553.13	66.45	34.41	परियोजना पूर्ण
5	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भाग –v		ए.डी.बी.	1072.71	146.62	140.51	64.37
6	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भाग – vi		ए.डी.बी.	474.15	67.95	115.75	101.11
7	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षमता सुधार निवेश कार्यक्रम भाग(फीडर पृथकीकरण)– i		ए.डी.बी.	1490.00	161.03	108.12	83.27

8	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षमता सुधार निवेश कार्यक्रम भाग(फीडर पृथकीकरण)– ii		ए.डी.बी.	1460.00	225.34	167.64	82.74
9	मध्यप्रदेश ट्रान्समिशन सिस्टम मॉडर्नाइजेशन परियोजना		जे.आई.सी.ए.	1247.92	123.50	146.18	97.38
10	मध्यप्रदेश पावर ट्रान्समिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इम्प्रुवमेन्ट परियोजना		ए.डी.बी.	1786.00	0.00	0.00	76.51
11	मध्यप्रदेश राज्य सड़क क्षेत्र विकास परियोजना चरण–iii	लोक निर्माण	ए.डी.बी.	1400.00	464.46	304.50	217.38
12	शहरी जल प्रदाय एवं पर्यावरण सुधार परियोजना	नगरीय प्रशा. एवं विकास	ए.डी.बी.	1125.00	33.46	1.92	परियोजना पूर्ण
13	शहरी जल प्रदाय एवं पर्यावरण सुधार परियोजना– पूरक ऋण		ए.डी.बी.	318.00	82.00	18.57	1.90
14	म.प्र.अरबन सर्विसेस फार द पुअर प्रोग्राम		डी.एफ.आई.डी.	287.00	78.05	परि.पूर्ण	परियोजना पूर्ण
15	शहरी संरचना निवेश कार्यक्रम –द्वितीय चरण		डी.एफ.आई.डी.	170.00	42.50	10.54	8.05
16	मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना भाग– II	पंचा.एवं ग्रामीण विकास	डी.एफ.आई.डी	294.00	3.93	0.00	परियोजना पूर्ण
17	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र पुर्नसंरचना कार्यक्रम– II	ऊर्जा	डी.एफ.आई.डी.	44.00	0.98	0.00	परियोजना पूर्ण
18	मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम	स्वास्थ्य	डी.एफ.आई.डी	935.00	184.61	139.45	70.86
19	मध्यप्रदेश शासकीय कार्य प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण– I I	वित्त	डी.एफ.आई.डी.	108.75	0.00	9.77	3.90
20	तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम	महिला एवं बाल विकास	आईफेड	181.98	12.01	19.12	1.47
21	इन्दिरा गांधी गरीबी हटाओ कार्यक्रम(DPIP)II	ग्रामीण विकास	विश्व बैंक	550.00	146.26	119.36	45.35
22	म.प्र. जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना	जल संसाधन विभाग	विश्व बैंक	2191.89	208.03	328.67	328.57
23	राष्ट्रीय जल विज्ञान (Hydrology) परियोजना		विश्व बैंक	13.38	2.44	1.24	1.98
24	डेम रिहेबिलिटेशन एण्ड इम्प्रुवमेंट प्रोजेक्ट		विश्व बैंक	314.55	1.57	12.38	4.71
योग				**17676.40**	**2156.22**	**1721.69**	**1189.55**

4.4 राज्य ब्रिस्क योजनाः–

प्रदेश में समुचित विकास के उद्देश्य से वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा व्यापार जगत के साथ–साथ शासन प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भी संस्थागत साख उपलब्ध कराया जाता है। बैंकों द्वारा वितरित ऋणों की समयबद्ध वसूली से ही वित्त पोषण की निरन्तरता सुनिश्चित होती है। बैंक ऋण वसूली की समस्या के समाधान तथा सुगम वसूली के उद्देश्य से ''**मध्यप्रदेश लोक धन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987**'' में निहित प्रावधान अन्तर्गत ऋण ग्रहिता द्वारा ऋण का समय पर भुगतान नहीं किये जाने पर बैंक द्वारा राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र पेश किये जाने की स्थिति में शासन के राजस्व विभाग के अमले के माध्यम से वसूली किये जाने का प्रावधान है। बैंकों द्वारा ऋण की वसूली हेतु स्वयं के स्तर पर विशेष इकाई स्थापित करने पर भी वसूली नहीं हो पाने के कारण बैंकों के परामर्श एवं सहयोग से बैंकों की अतिदेय राशियों की वसूली हेतु ''**बैंक वसूली प्रोत्साहन (ब्रिस्क) योजना**'' 1 अप्रैल 1995 से लागू की गई है।

ब्रिस्क योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा समन्वय हेतु संचालनालय में ''राज्य ब्रिस्क प्रकोष्ठ'' कार्यरत है, जो ''ब्रिस्क प्रबन्ध समिति'' के पर्यवेक्षण एवं देखरेख में ब्रिस्क योजना का राज्य स्तर पर समन्वय, सतत समीक्षा, निरीक्षण, ब्रिस्क खातों का अंकेक्षण कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था संबंधी अन्य प्रासंगिक कार्य करता है।

4.5 मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000:–

1. राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एवं भारतीय प्रत्याभूति और विनिमय बोर्ड (SIDBI) की अनुशंसा पर प्रदेश के निक्षेपकों के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से तथा अनिगमित निकायों व वित्तीय संस्थापनाओं (Un-incorporated Financial Bodies) की गतिविधियों पर अंकुश रखने हेतु ''मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000'' लागू किया गया है। अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण नियम 2003 अधिसूचित किये गये हैं। अधिनियम में निहित प्रावधान को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन ने

अधिसूचना द्वारा समस्त ज़िला कलेक्टरों को उनकी अधिकारिता क्षेत्र के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. भारत सरकार के निर्देशों के अनुक्रम में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नान बैंकिंग फाइनेन्स कम्पनियों एवं अनिगमित निकाओं की गतिविधियों पर निगरानी के लिये ''राज्य स्तरीय समन्वय समिति'' गठित की गई है। उक्त समिति की बैठक त्रैमासिक रूप से आयोजित की जाती है।

4.6 मध्यप्रदेश मानव विकास प्रतिवेदनः–

मध्यप्रदेश, देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी स्थिति का विवरण देने के लिये प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन वर्ष 1995 में जारी किया गया था। इसके पश्चात् मध्यप्रदेश मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन वर्ष 1998, 2002 एवं 2007 में हुआ है। पाचवॉ म.प्र. मानव विकास प्रतिवदेन हेतु "कृषि एवं आजीविका" को विषय–वस्तु चुना गया है। पाचवॉ मानव विकास प्रतिवेदन हेतु राज्य शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में साधिकार समिति एवं प्रमुख सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में प्रचालन समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदन तैयार करने हेतु अधिकृत निर्माणकारी एजेन्सी द्वारा प्रतिवेदन का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है जिसे साधिकार समिति के सम्मुख प्रस्तुत कर अन्तिम स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

4.7 प्रदेश में बैंकिंग क्षेत्र की स्थितिः–

भारतीय रिजर्व बैंक की अग्रणी बैंक योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गठित एवं त्रैमासिक अन्तराल पर आयोजित''राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति'' के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्त पोषण से चलाई जा रही हितार्थी मूलक एवं रोजगार संबंधी शासन प्रायोजित विकासशील योजनाओं के सफल

मध्यप्रदेश में बगैर बैंक खाता वाले चिहिन्त परिवार

मध्यप्रदेश में बगैर बैंक खाते वाले चिहिन्त 49.47 लाख परिवारों का बैंकों में खाता खोला जाकर प्रदेश के शत–प्रतिशत परिवारों को बैंक से जोड़ने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बैंक व्दारा निरंतर रूप से परिवारों के अन्य सदस्यों को भी खाते खोले जा रहे है। अभी तक कुल 102 लाख खाते खोले जा चुके है।

कियान्वयन में बैंकों एवं अन्य वित्तदायी संस्थाओं तथा राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों के मध्य प्रभावी समन्वय का कार्य सुनिश्चित किया जाता है।

प्रदेश में बैंकिंग सुविधाओं का विकास, विशेषकर ग्रामीण अंचलों में अधिकाधिक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्राप्त शिकायत/अभ्यावेदन पर भारतीय रिजर्व बैंक एवं बैंकों के राज्य स्तरीय तथा प्रधान कार्यालयों से सम्पर्क स्थापित कर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

बैंक शाखा नेटवर्क (दिनांक 30.09.2014 की स्थिति) :–

बैंक	ग्रामीण शाखाएं	अर्द्धशहरी शाखाएं	शहरी शाखाएं	कुल
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	1291	1141	1368	3800
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	820	283	100	1203
सहकारी बैंक	558	470	93	1121
निजी बैंक	94	141	193	428
कुल योग	**2763**	**2035**	**1754**	**6552**

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग क्षेत्र हेतु निर्धारित राष्ट्रीय मानक एवं प्रदेश की स्थितिः–

(प्रतिशत में)

विवरण	निर्धारित मानक	वर्ष 2012–13 की स्थिति (31.03.13)	वर्ष 2013–14 की स्थिति में (31.03.14)	वर्ष 2014–15 की स्थिति में (30.09.14)
साख–जमा अनुपात	60	63	66	64
प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	40	57	59	60
कृषि अग्रिम	18	34	34	33
कमजोर वर्गो को अग्रिम	10	11	11	13

प्रदेश में बैंकिंग क्षेत्र के मुख्य सूचकांकः–

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च 2012 की स्थिति	मार्च 2013 की स्थिति	मार्च 2014 की स्थिति	वर्ष 2014–15 की स्थिति में (30.09.14)
कुल जमा	180871	220689	249525	261815
कुल अग्रिम	113291	139330	164877	167025
प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	68172	79813	96619	100050
कृषि अग्रिम	33795	47123	55681	55450
कमजोर वर्ग को अग्रिम	13857	15401	21277	21235
लघु उद्योगों को अग्रिम	13450	17688	22937	24014

ACP ACHIEVEMENT AGENCY WISE (As on 30.09.2014)

Amt. in Rs. crore

BANK	AGRICULTURE			MSE			OPS			TOTAL PS ADV		
	TARGET	ACHI	%	TARGET	ACHI	%	TARGET	ACHI	%	TARGET	ACHI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Comm	32836	10770	33	9218	3716	40	6625	1767	27	48679	16253	33
RRBs	6856	2356	34	514	196	38	436	175	40	7806	2727	35
Co-op	13699	7881	58	465	0	0	298	7	2	14462	7888	55
TOTAL	**53391**	**21007**	**39**	**10197**	**3912**	**38**	**7359**	**1949**	**26**	**70947**	**26868**	**38**

बैंकों को राज्य प्रायोजित योजनाओं हेतु वार्षिक साख योजनाः–

संस्थागत वित्त संचालनालय द्वारा राज्य शासन के सम्बन्धित विभागों एवं उपक्रमों के सहयोग से राज्य–स्तर की "राज्य साख योजना" [State Credit Plan - SCP] बनाने का कार्य वर्ष 1992 से किया जा रहा है। इस दस्तावेज़ में राज्य प्रायोजित ग़रीबी उन्मूलन, रोजगार मूलक योजनाओं के अन्तर्गत वित्तदायी संस्थाओं के

आर्थिक सहयोग से कार्यान्वित योजनाओं के जिलेवार, योजनावार एवं विभागवार लक्ष्यों का समावेश होता है। वर्ष 2014–2015 हेतु राशि ₹ 6563.02 करोड़ की साख योजना बनाई गई है।

किसान क्रेडिट कार्डः–

प्रदेश में 31 मार्च 2014 तक कुल **74,22,359** तथा वर्ष 2014–2015 (माह सितम्बर 2014 तक) में **4,93,674** किसान क्रेडिट कार्ड विभिन्न बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए है।

4.8 मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्डः–

राज्य शासन की अधोसंरचना परियोजनाओं हेतु वित्तीय संसाधन जुटाने के उददे्श्य से ''मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम 2000'' के अधीन ''मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड'' गठित किया गया है। इस बोर्ड के द्वारा राज्य शासन की अधोसंरचना परियोजनाओं हेतु धनराशि की व्यवस्था की जाती है। भारत सरकार की वाईबिलिटी गैप फंडिंग योजना अन्तर्गत राज्य शासन के अंशदान के रूप में दिये जाने वाले अनुदान का निर्गमन भी इस बोर्ड के माध्यम से किया जाता है।

प्रदेश में औधौगिक वातावरण विकसित करने हेतु

प्रदेश में औधौगिक वातावरण विकसित करने हेतु नये उद्यमियों व्दारा नवाचार पर आधारित उद्योग/ व्यवसाय/सेवाओं को प्रारंभ करने हेतु आवश्यक अंशपूजी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रथमतःएम.एस.एम.ई.क्षेत्र के लिए ₹100 करोड़ का वेंचर केपिटल फण्ड निर्मित करने की कार्यवाही की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिसम्बर 2014 तक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को वाईबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में ₹ 17.30 करोड़ का अनुदान बोर्ड के माध्यम से निर्गमित किया गया है।

4.9 जन–निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से अधोसंरचना परियोजनाओं का क्रियान्वयनः–

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में जन–निजी भागीदारी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने तथा ऐसी परियोजनाओं के विकास में सहायता तथा समन्वय करने के उद्देश्य से संचालनालय संस्थागत वित्त में जन निजी भागीदारी सेल गठित किया गया है। आयुक्त, संस्थागत वित्त को इस हेतु नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। जन– निजी भागादारी के माध्यम से प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति की जा रही है जिसमें सड़क निर्माण के क्षेत्र में जन निजी भागीदारी ने अग्रणी भूमिका निभाई है। मध्यप्रदेश में जिन क्षेत्रों में कार्य किये जा रहे है, उनमें सडक निर्माण, जल प्रदाय, नगरीय विकास, उर्जा, भण्डारण, आदि सम्मिलित है। दिसम्बर, 2014 तक ₹ 33,300 करोड़ लागत की परियोजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में किया जा रहा हैं।

जन–निजी भागीदारी परियोजना

प्रदेश में जन–निजी भागीदारी के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाएं कियान्वित की जा रही है। जिसमें सड़क निर्माण क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। वर्तमान में लगभग ₹33,000 करोड़ लागत की परियोजनाओं का कियान्वयन विभिन्न चरणों में है। उल्लेखनीय है कि जन–निजी भागीदारी से नवीन क्षेत्रों जैसे, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ग्रामीण पेय जल, मेडिकल कॉलेज का निर्माण तथा ग्रामीण सड़क निर्माण में परियोजनाऐं प्रस्तावित की जा रही है।

4.9 महिला नीति का क्रियान्वयनः–

महिला समुदाय को अपेक्षित बैंकिंग साख सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से दिनांक 31 मार्च 2014 की स्थिति में प्रदेश में कार्यरत बैंकों द्वारा 8,63,742 महिला हितार्थियों को राशि **₹ 147.21** करोड़ के ऋण उपलब्ध कराये गये हैं।

अध्याय 5
संचालनालय, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा

5.1 विभागीय संरचना

मध्यप्रदेश में वर्ष 1986 के पूर्व पेंशन प्रकरणों का निराकरण महालेखाकार द्वारा किया जाता था। तत्पश्चात प्रशासकीय विभागों को सहायता देने एवं कर्मचारियों की कठिनाईयों एवं समस्याओं के निराकरण के संबंध में विभिन्न विभागों से समन्वय हेतु वर्ष 1986 में पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण संचालनालय का गठन कर विभागों में पेंशन प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं।

शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्त तिथि को ही पेंशन परिलाभों के प्राधिकार पत्र प्राप्त हो जाए इस उद्देश्य से राज्य शासन ने 1995 में पेंशन के कार्य का संभागीय स्तर पर विकेन्द्रीकरण किया गया।

म0प्र0शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 3135/3118/08/ई/चार, दिनांक 01.10.2008 द्वारा पेंशन संचालनालय का नाम परिवर्तित कर ''संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा'' किया गया है। ''संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा'' का पेंशन कार्यों के साथ–साथ विभागीय भविष्य निधि एवं बीमा सह बचत योजना 2003 के क्रियान्वयन का दायित्व भी सौंपा गया है।

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश दिनांक 28–12–2010 द्वारा समस्त जिलों में दिनांक 01.01.2011 से जिला पेंशन कार्यालय खोलने की अनुमति जारी की गई हैं तथा समस्त जिलों में जिला पेंशन कार्यालय अस्तित्व में आ गये हैं।

जिलों में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण अब कोषालय अधिकारियों के स्थान पर जिला पेंशन कार्यालयों को प्रेषित किये जा रहे हैं एवं पेंशन कार्यालय द्वारा पी0पी0ओ0/जी0पी0ओ0/कम्युटेशन पेमेंट आर्डर जारी किये जा रहे हैं।

5.2 संचालनालय, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा म0प्र के अधीन स्वीकृत पद :–

स.क.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	**2**	**3**	**4**
1.	आयुक्त / संचालक	प्रथम श्रेणी	01
2.	अपर संचालक	प्रथम श्रेणी	01
3.	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	01
4.	उप संचालक	प्रथम श्रेणी	01
5.	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	04
6.	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	01
7.	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी (संविदा नियुक्ति)	02
8.	कार्यालय अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	01
9.	अंकेक्षण अधिकारी	तृतीय श्रेणी	04
10.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	01
11.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	03
12.	सहायक ग्रेड–1	तृतीय श्रेणी	02
13.	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	06
14.	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	04
15.	सहायक ग्रेड–3 (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर)	तृतीय श्रेणी (संविदा नियुक्ति)	04
16.	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	02
17.	दफ्तरी	चतुर्थ श्रेणी	01
18.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	06
19.	चौकीदार	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	01
20.	फर्राश(अंशकालीन) / स्वीपर (अंशकालीन)	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	01
21.	वाटर मैन	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	01
		योग :–	**48**

5.3 पेंशन संचालनालय के दायित्व :–

पेंशनर्स के स्वत्वों एवं उनकी सामान्य समस्याओं के निराकरण हेतु पेंशन संचालनालय को निम्नांकित दायित्व सौंपे गये हैं :–

1– विभिन्न संभागीय संयुक्त संचालक,कोष लेखा एवं पेंशन / समस्त कोषाधिकारियों के मध्य पेंशन संबंधी मामलों में समन्वयकारी भूमिका।
2– पेंशनर्स की समस्याओं का निराकरण।
3– पेंशन नियमों का सरलीकरण एवं अद्यतनीकरण।
4– पेंशन कार्य का अंकेक्षण।
5– पेंशन कल्याण मंडल तथा पेंशन कल्याण कोष का संचालन।
6– पेंशन संबंधी मामलों में परामर्श देना।

7– समस्त सेवानिवृत्ति परिलाभो/समस्याओं से संबंधित मामलों के लिए शासन के नोडल स्थान के रूप में कार्य।

8– दिनांक 01.10.08 से उपरोक्त कार्यो के साथ–साथ विभागीय भविष्य निधि एवं बीमा सह बचत योजना 2003 के क्रियान्वयन का दायित्व भी सौंपा गया है।

9– राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के क्रियान्वयन का दायित्व सौंपा गया है।

जिला पेंशन कार्यालयों के अधीन स्वीकृत पद :–

स.क.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	2	3	4
1.	जिला पेंशन अधिकारी (संयुक्त संचालक स्तर)	प्रथम श्रेणी	07
2.	जिला पेंशन अधिकारी (उप संचालक स्तर)	प्रथम श्रेणी	43
3.	सहायक पेंशन अधिकारी (म0प्र0 अधीनस्थ लेखा सेवा)	तृतीय श्रेणी	328
4.	सहायक ग्रेड–2 (लेखा प्रशिक्षित)	तृतीय श्रेणी	50
5.	सहायक ग्रेड–3 (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर)	तृतीय श्रेणी (संविदा नियुक्ति)	114
6.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी (संविदा नियुक्ति)	150
		योग :–	**692**

जिला पेंशन कार्यालयों के दायित्व :–

I. जिले में आगामी दो वर्षो में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करना ।

II. सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के अभिलेखों में सेवा सत्यापन, वेतन निर्धारण, अवकाश स्वीकृति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख से समन्वय करना तथा यह समस्त कार्यवाही सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करना।

III. सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व के पेंशन प्रकरणों संबंधी अभिलेख मय सेवा पुस्तिका के अपने कार्यालय में बुलाकर संधारित करना।

IV. कंडिका III के तहत प्राप्त पेंशन प्रकरणों की जांच करना, वेतन निर्धारण करना, अर्हतादायी सेवा का सत्यापन करना तथा असाधारण रूप से हुए विलम्ब के प्रकरणों

में जिला पेंशन अधिकारी, जिला कलेक्टर एवं विभागाध्यक्ष से सम्पर्क कर निश्चित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण कराना।

V. पेंशन नियमों के अंतर्गत पेंशन प्रकरणों का निराकरण करना एवं सेवानिवृत्ति के दिनांक को कर्मचारी को पेंशन प्राधिकार पत्र सहित सभी आवश्यक स्वीकृतियां उपलब्ध कराना।

VI. सेवानिवृत्ति तिथि से एक माह की अवधि एवं उसके पश्चात पेंशनर के बैंक खाते में मासिक पेंशन का निरन्तर भुगतान करना।

VII. पेंशनर की मृत्यु पर परिवार पेंशन प्राधिकृत करना एवं परिवार पेंशनर के बैंक खाते में मासिक पेंशन जमा करना।

VIII. समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार पेंशन एवं मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण करना।

IX. समय–समय पर पेंशन का ऑडिट कराना।

X. कंडिका III के तहत संधारित एवं पेंशन कार्यालय द्वारा समय–समय पर तत्संबंधी सृजित अभिलेखों को पेंशनर/परिवार पेंशनर की मृत्यु तक अथवा परिवार पेंशन की पात्रता तिथि तक एवं उसके पश्चात तीन वर्षो तक सुरक्षित रखना।

सामान्य जानकारी

5.4– पेंशन प्रकरणों की प्रगति :–

विभागीयकरण योजना के अंर्तगत पेंशन संचालनालय द्वारा कुल 85,250 पेंशन प्रकरण निराकृत किये गये।

दिनांक 01 जून 1995 से पेंशन प्रकिया का विकेन्द्रीकरण कर पेंशन कार्य समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष लेखा एवं पेंशन को सौंप दिया गया हैं। विकेन्द्रीकरण के पश्चात् अर्थात् दिनांक 01.06.1995 से 31.10.2002 तक कुल 1,36,353 पेंशन प्रकरण निराकृत किये गये है।

5.5– पेंशन कार्य का जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण :–

राज्य शासन द्वारा पेंशन कार्य का कोषालय में विकेन्द्रीकरण कर यह कार्य दिनांक 01.11.2002 से कोषालय अधिकारियों को सौंपा गया था।

पेंशनर्स के जीवित प्रमाण पत्र

राज्य शासन के पेंशनर्स/ परिवार पेंशनर्स के व्दारा पेंशन वितरण कार्यालय में वर्ष में एक बार प्रस्तुत किये जाने वाले जीवित प्रमाण पत्र के लिए ऑन लाईन व्यवस्था लागू की गई है।

(क) भोपाल स्थित सभी विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधीनस्थ सभी श्रेणी के कर्मचारियों के पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./कम्युटेशन प्राधिकार पत्र संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, भोपाल संभाग द्वारा जारी किया जा रहा था तथा भोपाल के बाहर स्थित विभागाघ्यक्ष कार्यालयों के शासकीय सेवकों के पेंशन प्राधिकार पत्र संबंधित कोषालय अधिकारी द्वारा ही जारी किये जा रहे थे। अब शासनादेश द्वारा भोपाल स्थित सभी

विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधीनस्थ सभी श्रेणी के कर्मचारियों के समस्त पेंशन प्रकरणों के निराकरण का दायित्व संभागीय पेंशन अधिकारी, भोपाल को सौंपा गया है, तथा भोपाल के बाहर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों के शासकीय सेवकों के पेंशन प्राधिकार पत्र संबंधित संभागीय /जिला पेंशन कार्यालयों द्वारा जारी किया जा रहा है।

(ख) पेंशन कार्य का कोषालय में विकेन्द्रीकरण के पश्चात् (**01.11.2002 से 31.12.2010**) तक कुल **1,30,620** पेंशन प्रकरण निराकृत किये गये हैं।

(ग) संभागीय/जिला पेंशन कार्यालयों का गठन होने के पश्चात अर्थात **दिनांक 01.01. 2011 से** समस्त जिला पेंशन कार्यालय द्वारा **माह दिसंबर 2014 तक कुल 63551 पेंशन प्रकरणों का निराकरण** किया गया है।

कोषालय एवं जिला पेंशन कार्यालय द्वारा विगत छः वर्षों में **कुल 98174** पेंशन प्रकरण निराकृत किए गये। निराकृत पेंशन प्रकरणों की वित्तीय वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :–

स.क.	वित्तीय वर्ष	निराकृत पेंशन प्रकरणों की संख्या
01	2010-2011	17681
02	2011-2012	17660
03	2012-2013	16586
04	2013-2014	17057
05	2014-2015 (Dec 2014)	14985
	कुल निराकृत प्रकरणः–	**98,174**

5.6- पेंशन कार्य का अंकेक्षणः–

पेंशन कार्य के जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप समस्त जिला पेंशन अधिकारियों द्वारा किये जा रहे पेंशन कार्य का अंकेक्षण संभागीय पेंशन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

5.7. पेंशनर कल्याण मंडल :–

राज्य शासन द्वारा पेंशनरों की समस्याओं पर सतत् विचार कर निराकरण करने के लिए पेंशनर कल्याण मंडल का भी गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न पेंशनर संघों के 6 प्रतिनिधि नामांकित होते हैं। इसकी बैठक मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन या उनके व्दारा मनोनित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में वर्ष में दो बार होती है। मंडल का कार्यकाल दो वर्ष का होता हैं। वर्तमान मंडल का पुर्नगठन दिनांक 28 अक्टूबर 2014 को हुआ है।

5.8. पेंशनर कल्याण कोषः–

शासन द्वारा राज्य के पेंशनरों एवं उनके परिवार के सदस्यों की लंबी अथवा गंभीर प्रकार की बीमारी, दुर्घटना, अपंगता अथवा अंधे होने जैसी विपदा के समय वित्तीय

सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से ₹10.00 लाख की राशि से पेंशनर कल्याण कोष स्थापित किया गया है। कोष की स्थापना वर्ष 1988 से अभी तक कुल 3433 प्रकरणों में 61,81,971/– मात्र की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। इस कोष में वर्तमान में शेष राशि 4,36,945/– है।

पेंशनर कल्याण कोष से विगत छः वर्षों में स्वीकृत वित्तीय सहायता राशि की वित्तीय वर्षवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

स. क्र.	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	स्वीकृत राशि (₹ में)
01	2009-2010	02	117254
02	2010-2011	02	22424
03	2011-2012	154	321877
04	2012-2013	निरंक	00
05	2013-2014	01	10000
06	2014-2015	70	1,28,599
	योगः–	**229**	**6,00,154**

5.9. जिला पेंशनर फोरम :–

सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक एफ–11–2/03/15/क.क दिनांक 23.10.2003 द्वारा जिला पेंशनर फोरम का गठन किया गया है जिसके अंतर्गत पेंशनर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है। जिला पेंशनर फोरम का मुख्य कार्य पुराने पेंशन प्रकरणों को ज्ञात करने, सुलझाने एवं पेंशनरों की कल्याणकारी गतिविधियों में सहायता करना है।

5.10 नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना :–

- मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा एवं सिविल सेवा पदों पर दिनांक 01 जनवरी 2005 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिए राज्य शासन द्वारा परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है।
- उक्त योजना राज्य शासन के नियंत्रणाधीन ऐसे स्वशासी संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों /निगमों/मण्डलों/सार्वजनि उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों जिनमें राज्य शासन के कर्मचारियों के समान निश्चित पेंशन प्रणाली दिनांक 01.01.2005 के पूर्व प्रचलित थी, के दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए भी परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू है।
- मध्यप्रदेश शासन के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 या उसके पश्चात हुयी हो, के सदस्यों के लिए भी उक्त परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू है।
- योजना के अंतर्गत NPS Trust के साथ प्रदेश शासन का अनुबंध दिनांक– 16.12.2008 को सम्पादित किया गया है। मध्य प्रदेश NPS Trust के साथ अनुबंध करने वाला देश का प्रथम राज्य है।

- प्रदेश शासन का अनुबंध केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी NSDL (National Securities Depository Limited) के साथ भी हो चुका है। योजना के कियान्वयन की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :–

1. समस्त **56** कोषालयों का NSDL के साथ पंजीयन पूर्ण किया जा चुका है।
2. **9631** आहरण संवितरण अधिकारियों का पंजीयन NSDL के साथ किया जा चुका है।
3. 1 जनवरी 2005 के पश्चात नियुक्त 1,07,740 कर्मचारियों का पंजीयन NSDL के साथ हो चुका है।
4. NSDL द्वारा निर्धारित Data Format में, CMC Ltd. द्वारा C-SFMS के अंतर्गत SLIM Modul में एक सुविधा पृथक से विकसित की गई है, जिसके अंतर्गत NPS अभिदाताओं के कटौत्री का विवरण पृथक से संधारित होता है, जिसे NSDL की Site पर Upload किया जाता है।
5. माह जनवरी 2010 से कर्मचारियों के अंशदान एवं समतुल्य शासकीय अंशदान की राशि 1253.02 **करोड़ (लगभग)** को ट्रस्टी बैंक–एक्सिस बैंक को हस्तांतरित किया जा चुका है। यह राशि LIC Pension Fund Limited, UTI Retirement Solution Limited एवं SBI Pension Fund Limited फंड मैंनेजरों को ट्रस्टी बैंक द्वारा हस्तांतरित की जा रही है।

एस–1 फार्म जमा करने की केन्द्रीयकृत व्यवस्था

नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत Non IRA PRAN को IRA PRAN में परिवर्तित करने हेतु संचालनालय पेंशन व्दारा दिनांक 2.4.2014 से यह व्यवस्था लागू की गई है कि समस्त कोषालयों व्दारा Non IRA PRAN को IRA PRAN में Conversion हेतु भरे जा रहे एस–1 फार्म सीधे Facilitation Centre को न भेजे जाकर संचालनालय पेंशन को भेजे जायेंगे। एवं संचालनालय पेंशन उसकी जांच कर उन्हें भोपाल स्थित एफ.सी.के माध्यम से एन.एस.डी. एल.को भेजेगा।

अध्याय-6
संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली

6.1 संचालनालय की संरचनाः-

वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली के विभागाध्यक्ष संचालक बजट होते है। जिनकी पदस्थापना मूल रुप से वित्त विभाग (मंत्रालय) में रहती है। वर्तमान में संचालनालय स्तर पर ही कार्यालय है। कोई अधीनस्थ कार्यालय नहीं हैं परिणामतः कर्मचारियों के स्थानान्तरण की स्थिति नही है। संचालनालय के अमले की स्थिति निम्नानुसार हैः-

क्रमांक	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या
1.	अपर संचालक	प्रथम श्रेणी	01	1
2.	उप संचालक	प्रथम श्रेणी	01	1
3.	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	01	-
4.	डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर	द्वितीय श्रेणी	01	1
5.	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	01	1
6.	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	03	2
7	सहायक लेखाधिकारी	तृतीय श्रेणी	02	2
8.	शीघ्रलेखक	तृतीय श्रेणी	01	1
9.	लेखापाल	तृतीय श्रेणी	01	1
10.	सहायक ग्रेड-1	तृतीय श्रेणी	01	-
11.	सहायक ग्रेड-2	तृतीय श्रेणी	01	-
12.	सहायक ग्रेड-3	तृतीय श्रेणी	01	1
13.	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	01	1
14.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	04	2
15.	वाहन चालक	जिलाध्यक्ष दर पर	01	1
16.	भृत्य	जिलाध्यक्ष दर पर	01	1

6.2 संचालनालय के दायित्वः-

- राज्य शासन के आय-व्यय का निरंतर अनुश्रवण तथा सहयोगी शाखा के रुप मे बजट एवं अन्य वित्तीय कार्यो का संपादन किया जाता है।
- महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त आय/व्यय के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर विभिन्न वित्तीय सूचनायें तैयार कर विभागों/अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- राज्य के वार्षिक व अन्य नियतकालिक बजट दस्तावेजों को तैयार करना।
- बजट नियंत्रण अधिकारियों से मुद्रा साफ्टवेयर के माध्यम से बजट आंकड़े प्राप्त कर बजट संकलन की कार्यवाही करना।
- भारतीय रिजर्व बैंक की नगद स्थिति संबंधी प्राप्त जानकारी का अनुश्रवण करना।
- राज्य शासन के ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ के रुप में कार्य करना।
- राज्य के वित्तीय प्रबंधन हेतु उच्च अधिकारियों को आवश्यक सूचनायें उपलब्ध कराना।

6.3 संचालनालय से संबंधित सामान्य जानकारीः-

- वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली का गठन वर्ष 1987 में राज्य के आय-व्यय पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आवश्यक सूचनायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया था।
- मार्च 1989 से संचालनालय ने कार्य शुरू किया।
- वर्ष 1991-92 से राज्य शासन के बजट संबंधी संपर्ण कार्य को इलेक्ट्रानिक माध्यम से संकलित किया जा रहा है। इस हेतु संचालनालय द्वारा स्वयं के स्तर पर साफ्टवेयर तैयार किया गया जिसे आवश्यकतानुसार परिमार्जित अद्यतन किया जाता है।
- वार्षिक एवं अनुपूरक बजट संबंधित समस्त आंकड़ों एवं दस्तावेजों को वेबसाइट पर उपलब्ध होने से आवश्यक सूचनाएं सर्वसाधारण को तत्काल तथा आवश्यकतानुसार उपलब्ध हैं।

6.4 संचालनालय द्वारा वित्त विभाग के लिये भी वेब साईट www.finance.mp.gov.in विकसित की गई है। जिसमें वित्त विभाग की निम्नांकित जानकारी उपलब्ध हैः-

- वित्त विभाग की सामान्य जानकारीः- विभाग द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य, संगठनात्मक संरचना, विभाग में पदस्थ अधिकारियों की जानकारी, विभाग के अधीनस्थ

कार्यरत संचालनालय/निगम/संस्थाओं की जानकारी, नियमों/अधिनियमों की जानकारी, विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों/अधिसूचनाओं की वर्षवार जानकारी आदि।

- विधान सभा में प्रस्तुत किये गये मुख्य बजट की जानकारी वित्त सचिव का स्मृति पत्र, खण्ड 1, खण्ड-2, खण्ड-3, खण्ड-4, खण्ड-5 एवं विभागों की विभिन्न मांग संख्याओं में बजट अनुमान की जानकारी एवं बजट संबंधी अन्य सूचनायें।
- बजट के मुख्य आकर्षण की जानकारी।
- विधान सभा में प्रस्तुत अनुपूरक अनुमानों की जानकारी।
- बजट संबंधी शब्दावली एवं प्रयुक्त होने वाले कोड की जानकारी।
- विभिन्न मांग संख्यावार, मुख्य शीर्षवार एवं राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय एवं लोक लेखा संबंधित जानकारी।
- महालेखाकार के अंकेक्षण प्रतिवेदन।
- वित्त विभाग के सूचना के अधिकार संबंधी जानकारी।
- जेण्डर बजट-महिलाओं के सशक्तिकरण एवं शासकीय कार्यक्रमों में संचालन में इस प्रतिबद्धता को सुस्पष्ट करने के लिए जेण्डर बजट तैयार किया जाता हैं।
- परिणामी बजट - राज्य शासन की विकास योजनाओं के लक्ष्यों एवं अपेक्षित उद्देश्यों की जानकारी हेतु विभागवार परिणामी बजट परिणामी बजट में महत्वपूर्ण आयोजना परिव्यय को सम्मिलित किया गया, जिसे वेबसाईट पर मीडिया. आर्थिक विशेषज्ञ एवं जनसामान्य को विकास की योजनाओं की समीक्षा के लिये उपलब्ध कराया गया है।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत दस्तावेजों को तैयार करने तथा विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों एवं सूचनाओं को भी तैयार किया गया है। प्रथम छःमाही एवं द्वितीय छःमाही का समीक्षा विवरण एवं आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छःमाही विवरण तैयार कर वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है।
- जन-निजी भागीदारी - जन-निजी भागीदारी योजना अन्तर्गत राज्य के अधोसंरचना विकास में जन-निजी भागीदारी, एन्यूटी आधारित परियोजनाओं में निवेश की जानकारी विभाग की वेब साईट पर उपलब्ध है।

. 14वें वित्त आयोगः- 14वें वित्त आयोग के द्वारा चाही गई समस्त जानकारियां तैयार कर समय सीमा में प्रेषित की गई। साथ ही आयोग के प्रदेश भ्रमण के समय उनके समक्ष राज्य शासन की और से किये जाने वाले प्रस्तुतिकरण एवं अन्य संबंधित कार्यों में उल्लेखनीय भागीदारी रखी गई है।

. केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार को जारी राशियों का विवरण। वित्त मंत्रीजी द्वारा मुख्य बजट के लिये विधान सभा में दिया गया भाषण।

. भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता एवं अनुदान राशियों की निरंतर समीक्षा के लिए आवश्यक जानकारियाँ राज्य शासन के वरिष्ठ स्तर पर उपलब्ध कराई गई।

6.5 **संचालनालय द्वारा पेपर लेस बजट** बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास मुद्रा साफ्टवेयर का विकास है। इसकी सहायता से विभागों के बजट प्रस्ताव साफ्टवेयर में प्राप्त किये गये। इससे न केवल विभागों को बजट बनाने में सुविधा हुई अपितु बजट प्रस्तावों को कागज के स्थान पर इलेक्ट्रानिकली भेजने से वित्त विभाग को भी प्रस्तावों के परीक्षण में सुविधा के साथ-साथ सटीकता भी रही। इस साफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न सूचनायें भी तैयार की जा सकती है।

अध्याय 7
मध्य प्रदेश वित्त निगम

7.1 सामान्य जानकारी

मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 30 जून, 1955 को राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 (केन्द्रीय अधिनियम) के अन्तर्गत हुई।

निगम ने विगत 60 वर्षों में 4272.00 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये एवं 2847.00 करोड़ वितरित किए। निगम के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयॉ स्थापित हुईं साथ ही सेवा क्षेत्र जैसे होटल, अस्पताल, मनोरंजन केन्द्र, शीतगृह, भण्डार गृह इत्यादि भी स्थापित हुए।

निगम द्वारा संतुलित विकास के मद्देनजर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक एवं आर्थिक विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है और रोजगार सृजन के अवसर निर्मित हुए हैं। इन इकाइयों में 330000 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया गया।

निगम वर्ष 2008 से आइएसओ 9001:2008 प्रमाण पत्र प्राप्त एक वित्तीय संस्था है जिसका नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष किया गया है। निगम में गुणवत्ता प्रबन्धन तंत्र के आधार पर लीड ऑडिटर्स द्वारा निरीक्षण के पश्चात् एवं आईएसओ 9001:2008 प्रमाण पत्र को नवीनीकृत कर 26 मई, 2017 तक वैध किया गया।

निगम का उद्देश्य राज्य में स्थापित होने वाले लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा गुणवत्ता को बनाये रखना है।

7.2. संगठन का ध्येय एवं उद्देश्य:

(अ) ध्येय:

प्रदेश के प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में निगम का ध्येय राज्य में स्थित लघु एवं मध्यम क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों तथा सेवा क्षेत्र की इकाइयों को लघु एवं मध्यम अवधि के ऋण प्रदान करना है। इसके फलस्वरूप राज्य के औद्योगिक विकास में वृद्धि होगी तथा रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे।

निगम द्वारा राज्य में अधोःसंरचना विकास की योजनाओं हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ब) उद्देश्यः–

1. ग्राहक सेवा

लघु एवं मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण इत्यादि हेतु उचित शर्तों एवं ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करना तथा अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

2. मानव संसाधन विकासः–

1. कर्मचारियों की कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता के विकास हेतु सतत् प्रयास करना एवं विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञान व कुशलता में वृद्धि करना।
2. कार्यनिष्पादन में मानव संसाधन विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए कार्यप्रणाली में निरन्तर सुधार लाना।

3. राज्य शासन के प्रति भूमिकाः–

1. प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु राज्य शासन की नीतियों के अनुरूप योजनाएँ बनाकर संचालित करना।
2. पूंजी के स्त्रोत हेतु राज्य शासन पर निर्भरता कम करना एवं भविष्य में लाभांश देने का लक्ष्य।
3. निगम को देश में अपने प्रकार का सर्वश्रेष्ठ निगम बनाने हेतु प्रयास करना।

4. अधिकतम गुणवत्ता हेतु भूमिकाः–

प्रतिस्पर्धा के इस दौर में गुणवत्ता ही निर्णायक भूमिका अदा करती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निगम की समस्त कार्यप्रणाली में गुणवत्ता को प्रमुख महत्व देना एवं निगम की समस्त गतिविधियों में यह परिलक्षित होना।

. निगम के उद्देश्य (अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन)

दीर्घकालीनः–

1. निगम के समस्त ग्राहकों की विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएँ बनाना एवं ग्राहक मित्र वातावरण निर्मित करना।
2. लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्यमियों में जागरूकता लाना।
3. लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्यमियों के साथ दीर्घकालीन व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित करना।
4. सभी व्यावसायिक विकास केन्द्रों को लाभ केन्द्र एवं आत्मनिर्भर बनाना।

5. सभी प्रणालियों को पर्यावरण मित्र बनाने की दिशा में प्रयास करना एवं आने वाले समय में इस क्षेत्र में आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र हासिल करना।

अल्पकालीनः–

1. लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्यमियों को अवधि ऋण प्रदान करना।
2. ऑटो, खाद्य प्रसंस्करण, स्टील एवं स्टील उत्पाद तथा केमिकल एवं खाद उद्योगों की अनुषंगी इकाइयों की स्थापना एवं विकास को प्रोत्साहित करना।
3. राज्य के संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु पिछड़े क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम क्षेत्र के ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को मध्यम अवधि ऋण प्रदान करना।
4. राज्य के पिछड़े क्षेत्रों एवं छोटे शहरों में व्यावसायिक विकास केन्द्रों के माध्यम से ऋण सुविधा का विस्तार।
5. उधार जोखिम को विस्तृत आधार पर कम करने हेतु लघु ऋणों एवं उद्यमियों की संख्या बढ़ाना।
6. ऋण प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु कार्यप्रणाली विकसित करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निगम के प्रयास :–

छोटे ऋणों की संख्या में वृद्धि हेतु निगम द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं इस हेतु राज्य में व्यावसायिक केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों को समुचित अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन केन्द्रों के द्वारा सेवा क्षेत्र में अतिरिक्त व्यवसाय अर्जित (बिना किसी अतिरिक्त प्रशासकीय व्यय के) किया जा रहा है। परिचालन व्यय हेतु भी बजट के प्रावधान, आवश्यकताओं को देखते हुए न्यूनतम स्तर पर रखे गए हैं।

7.3 उपलब्धियॉं:

निगम द्वारा राज्य के औद्योगिकीकरण में महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जैसे किः–

(1) राज्य में गत 5 वित्तीय वर्षों में 1564.46 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई तथा वित्तीय वर्ष 2014.15 में कुल ₹ 330.14 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई।

निगम द्वारा स्वीकृत तथा वितरित ऋण का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया हैः–

तालिका

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	ऋण राशि स्वीकृत	वितरित ऋण राशि	वसूली
2010–11	246.35	151.25	147.06
2011–12	260.03	163.03	181.15
2012–13	324.41	209.58	202.82
2013–14	403.53	287.79	226.58
2014–15 (10 फरवरी,2015 तक)	330.14	195.49	223.47

(2) वर्ष 2014–15 में (10 फरवरी,2015 तक) निगम द्वारा ₹ 330.14 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये गये, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र तथा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के उद्योग भी सम्मिलित हैं।

(3) निगम द्वारा प्रदत्त वित्त के फलस्वरूप रोजगार के नए अवसर निर्मित किये गये।

7.4. राज्य में पूंजी विनिवेशः–

मध्य प्रदेश वित्त निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में (10 फरवरी,2015 तक) 195. 49 करोड़ ₹ से अधिक के ऋण का वितरण नई औद्योगिक इकाईयों तथा अन्य सेवाक्षेत्र की इकाइयों की स्थापना एवं स्थापित इकाईयों के आधुनिकीकरण/ विस्तारीकरण हेतु किया गया।

(1) निगम द्वारा गत 5 वर्षों में ऋण स्वीकृत एवं वसूली में सतत् वृद्धि की गई।

(2) निगम अपनी समस्त देनदारियों का भुगतान करता आया है एवं राष्ट्रीय स्तर के बैंकों एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा निगम को पूर्ण समर्थन दिया जाता रहा है।

(3) राज्य में अविकसित पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना में निगम की प्रभावी भूमिका है एवं इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक निगम को प्रतिवर्ष पुनर्वित्त प्रदान करता है।

(4) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा निगम की आर्थिक पुनर्संरचना हेतु मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश वित्त निगम के साथ मार्च, 2004 में त्रिपक्षीय करारनामा किया गया था। निगम द्वारा उक्त करारनामे में उल्लेखित कार्ययोजना का संतोषजनक अनुकरण करने के कारण भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा आगामी 5 वर्ष की अवधि हेतु नए करारनामा हेतु सहमति दी गई एवं नया करारनामा भी मार्च, 2009 में निष्पादित किया जा चुका है।

(5) प्रदेश में औद्योगीकरण की सम्भावना और रोजगार के अवसरों को दृष्टिगत रखते हुए निगम द्वारा जारी ऋण योजनाओं से प्रत्यक्ष रूप से रोजगार निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन योजनाओं द्वारा नये उद्योगों के अतिरिक्त सेवा एवं व्यवसाय इत्यादि क्षेत्रों में भी ऋण प्रदान किया जा रहा है।

7.5 सुधार के प्रयासः–

निगम के खर्चों पर नियंत्रण के लिए सुदृढ़ बजट समर्थन प्रणाली जारी रखी गई और इसके फलस्वरूप ब्याज एवं वित्तीय खर्चे में तथा सेवावर्गीय खर्चों में नियंत्रण किया जा सका है। निगम द्वारा पूंजी के वैकल्पिक स्त्रोतों के लिए वर्ष 2014.15 में नॉन एसएलआर बॉण्ड्स निगम के माध्यम से रूपये 100.00 करोड़ अर्जित किये। रेटिंग संस्था CARE Ltd. द्वारा इन बॉण्ड निर्गमों को A "-" की रेटिंग प्रदान की गई।

निगम में पिछले 5 वर्षों में 45 अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं इस दौरान कोई नई नियुक्ति नहीं की गई है। निगम ने परिचालन व्यय में कमी लाने के लिए अभी तक कुल 40 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की एवं वर्तमान में भी यह योजना लागू है।

7.6. निगम द्वारा उठाये गये ग्राहक हितैषी कदमः–

प्रदेश में निगम के 8 व्यवसाय विकास केन्द्र यथोचित अधिकार विकेन्द्रीकरण सहित कार्यरत हैं। इनमें से अधिकांश प्रदेश के दूरस्थ अंचलों जैसे सिंगरौली, झाबुआ, छिन्दवाड़ा, बैतूल इत्यादि में स्थित है। इन व्यवसाय विकास केन्द्रों का निगम के व्यवसाय में इस वर्ष भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। निगम द्वारा स्वीकृति, वितरण एवं विधिक दस्तावेजीकरण की प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। उद्यमियों की सुविधा हेतु निगम की समस्त योजनाओं की जानकारी, आवेदन–पत्र, ब्याज की दर एवं प्रक्रियाओं की जानकारी वेबसाईट (www.mpfc.org) पर उपलब्ध कराई गई है।

अध्याय–8

दि प्राविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड

8.1 सामान्य जानकारी :–

दि प्राविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी की स्थापना सन 1926 में की गई थी। ग्वालियर राज्य एंव अन्य निकायों के पास उपलब्ध धन का विनियोग मुम्बई मे सर शापुरजी ब्रोचा एवं उनकी मृत्यु के पश्चात श्री एफ.ई.दिनशा द्वारा किया गया। यह निगम कम्पनीज अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है।

8.2 उददेश्य :–

कम्पनी का मुख्य व्यवसाय अंशो, ऋणपत्रों में वेष्ठित विनियोगों का क्रय विक्रय एंव उन पर लाभांश एंव ब्याज प्राप्त करना एंव सम्पत्तियों का प्रबंध करना है।

8.3 कम्पनी की वित्तीय स्थिति :–

कम्पनी की वित्तीय स्थिति तालिका 8.1 में दर्शायी गयी है। कम्पनी ने सन 2014–2015 में कम्पनी की सम्पत्ति टैंक बंदर रोड़ के विक्रय का प्रस्ताव विचाराधीन है अतएव 2015–16 में पुनः 57.00 करोड़ का लक्ष रखा गया है :–

तालिका 8.1

(राशि ₹ लाखों में)

विवरण	2012–13	2013–2014	2014–2015 अनुमानित
अंश पूंजी	49.66	49.66	49.66
संचित लाभ	2669.28	2744.00	2825.00
आय	326.82	409.00	435.00
व्यय	243.07	215.00	230.00
लाभ हानि	83.75	194.00	205.00
लाभांश	220%	220%	220%

अध्याय–9

मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

9.1. मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

राज्य शासन की अधोसंरचना परियोजनाओं हेतु वित्तीय संसाधन जुटाने के उददेश्य से ''मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम 2000'' के अधीन ''मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड'' गठित किया गया है। इस बोर्ड के द्वारा राज्य शासन की अधोसंरचना परियोजनाओं हेतु धनराशि की व्यवस्था की जाती है। भारत सरकार की वाईबिलिटी गैप फंड़िग योजना अन्तर्गत राज्य शासन के अंशदान के रूप में दिये जाने वाले अनुदान का निर्गमन भी इस बोर्ड के माध्यम से किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिसम्बर 2014 तक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को वाईबिलिटी गैप फंड़िग के रूप में रूपये 17.30 करोड़ का अनुदान बोर्ड के माध्यम से निर्गमित किया गया है।

अध्याय–10

मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग

10.1 दिनांक 28.1.2012 व्दारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। शासन व्दारा आयोग को पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुर्नविलोकन हेतु निम्नानुसार दायित्व सौंपा गया है :–

(क)(i) राज्य उद्ग्रहित करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्व आगमों के राज्य और पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के बीच जो संविधान के भाग–9 तथा 9 (क) के अधीन उनमें विभाजित किये जाये, वितरण को ओर सभी स्तरों पर पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटनों को,

(ii) ऐसे करों शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को जो पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को समनुदिष्ट की जा सकेगी या उनके व्दारा विनियोजित की जा सकेगी।

(iii) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के लिए सहायता अनुदान को, शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में,

(ख) पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये अघ्युपायों के बारे में,

(ग) पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल व्दारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किये गये किसी अन्य विषय के बारे में राज्यपाल को सिफारिश करेगा,

2/ राज्य वित्त आयोग के दायित्वों के निर्वहन के लिये श्री हिम्मत कोठारी को आयोग का अध्यक्ष एवं श्री डी.आर.एस.चौधरी तथा श्री मलय कुमार राय, सेवानिवृत्त आय. ए.एस.अधिकारियों को आयोग का सदस्य बनाया गया है।

भाग–दो

बजट एक दृष्टि में

अध्याय–11

विभागाध्यक्षों के लिये बजट प्रावधान एवं व्यय

11.1 संचालनालय, कोष एवं लेखा :–

वर्ष 2014–2015 में ₹ 143.96 करोड का बजट स्वीकृत हुआ जिसमें से माह दिसम्बर, 2014 तक ₹ 70.46 करोड का व्यय किया जा चुका है।

11.2 संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा :–

वर्ष 2014–15 में ₹ 51.14 करोड़ बजट स्वीकृत हुआ जिसमें से माह दिसम्बर 2014 तक ₹ 27.44 करोड का व्यय किया जा चुका है।

11.3 संचालनालय, संस्थागत वित्त :–

वर्ष 2014–15 में संचालनालय संस्थागत वित्त को आयोजना मद में रूपये 55.20 करोड़ का बजट आवंटन स्वीकृत हुआ जिसमें 31 दिसम्बर 2014 तक रूपये 21. 15 करोड़ का व्यय हुआ। आयोजनेत्तर मद में ₹ 9.03 करोड़ का आवंटन के विरूद्ध 31 दिसम्बर 2014 तक राशि ₹ 3.61 करोड़ का व्यय हुआ है।

11.4 संचालनालय, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा :–

वर्ष 2014–2015 में ₹ 9.63 करोड का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2014 तक ₹ 2.62 करोड का व्यय किया जा चुका है।

संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा के प्रशासकीय नियंत्रण में जिला पेंशन कार्यालयों का गठन किया गया है। जिला पेंशन कार्यालयों के लिये केवल आयोजनेत्तर मद में वर्ष 2014–15 में ₹ 41.45 करोड का बजट प्रावधानित है, जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2014 तक ₹ 10.02 करोड का व्यय किया जा चुका है।

11.5 संचालनालय,वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली :–

वर्ष 2014–15 में संचालनालय के व्यय हेतु ₹ 1.29 करोड का बजट स्वीकृत किया गया था जिसमें से दिसम्बर, 2014 तक ₹ 95.74 लाख का व्यय हुआ है।

भाग–तीन

सामान्य प्रशासनिक विषय

अध्याय–12

सामान्य प्रशासनिक विषय

वित्त विभाग व्दारा वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करने तथा विकास कार्यो के लिये आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभागों को अधिकाधिक वित्तीय अधिकार दिये गये है। शासकीय योजनाओं की स्वीकृति एवं समीक्षा के लिये कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया है। शासकीय कर्मचारियों का कम्प्यूटराईज्ड डाटाबेस तैयार किया गया है।

2/ राज्य का राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा तथा सकल परादेय़ ऋण मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों में तय सीमाओं में रहा है।

भाग–चार

विभाग व्दारा प्रशासित अधिनियम एवं नियम/विधायी आदेश

अध्याय–13

विभाग व्दारा प्रशासित अधिनियम/नियम/विधायी आदेश

विभाग व्दारा प्रशासित अधिनियम एवं नियम

01. आकस्मिकता निधि अधिनियम,1957
02. मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि नियम,1957
03. मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम,1973
04. मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा नियम,1974
05. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की संपरीक्षा प्रक्रिया तथा नियमावली 2008
06. मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा विभागीय नियमावली 1981
07. मध्य प्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम,1987
08. मध्य प्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) नियम, 1988
09. मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम,2000
10. मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण नियम, 2003
11. मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम,2000
12. मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड स्कीम,2001
13. मध्यप्रदेश लॉटरी प्रतिबंध अधिनियम,1993
14. The lotteries (Regulation) Act 1998
15. The State Financial Corporation Act 1951 (केन्द्र शासन का अधिनियम)
16. Madhya Pradesh Financial Corporation Act 1951
17. Madhya Pradesh Financial Corporation Provident Fund Regulation 1965
18. Madhya Pradesh Financial Corporation (staff) Regulation 1958
19. मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005
20. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम,1981
21. मध्यप्रदेश सरकार प्रत्याभूति नियम,2009
22. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1976
23. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम,1977
24. मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता
25. मध्य प्रदेश कोषालय संहिता
26. मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम
27. वेतन निर्धारण नियम
28. मध्यप्रदेश मूलभूत नियम
29. वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका
30. The Prize chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978 (केन्द्रीय शासन का अधिनियम)
31. The Regional Rural Banks Act, 1976 (केन्द्रीय शासन का अधिनियम)

भाग पांच

विविध

अध्याय–14

सारांश

14.1 वित्त विभाग व्दारा राज्य के आय–व्यय का बजट तैयार करने,वित्तीय प्रबंधन,आय के नये स्त्रोतों को तलाशने, शासकीय व्यय में बचत के उपाय करने संबंधी कार्यों के लिये विभाग में 9 बजट शाखाएं (ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ सहित) है, जिनमें विभागावार बजट का कार्य आवंटित है। कार्य के शीघ्र निराकरण के उद्देश्य से सचिवों को विभागवार दायित्व सौंपा गया है। नई योजनाओं के अनुमोदन तथा पुरानी योजनाओं के पुनरीक्षण कार्य के लिये तीन स्थायी वित्तीय समितियॉ गठित की गई हैं। वित्त विभाग व्दारा बनाये गये नियमों/अधिनियमों से संबंधित कार्य, नियम शाखा में एवं विभाग के अधीनस्थ विभागाध्यक्षों के स्थापना संबंधी कार्य स्थापना शाखा में संपादित किया जाता है।

14.2 संचालनालय,कोष एवं लेखा भोपाल में स्थित है। संचालनालय की मुख्य गतिविधियॉ राजकोष प्रशासन का नियंत्रण, वेतन निर्धारण,लेखा प्रशिक्षण,कोष निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण, मध्यप्रदेश वित्त सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा तथा अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं का प्रबंधन है। प्रदेश में 56 जिला कोषालय, 156 उपकोषालय हैं, 07 संभागीय कार्यालय एवं 07 लेखा प्रशिक्षण शालाएं कार्यरत हैं। संचालनालय व्दारा कोषालयों, उपकोषालयों एवं संभागीय संयुक्त संचालकों, कोष लेखा एवं पेंशन के कार्यो के कम्प्यूटराईजेशन की प्रक्रिया पूर्ण की गयी हैं।

14.3 संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा का मुख्यालय ग्वालियर में स्थित है। संचालनालय व्दारा स्थानीय निकायों, स्वशासी संस्थाओं तथा ग्राम पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 के अंतर्गत संपादित की जाती है।

14.4 संचालनालय,संस्थागत वित्त भोपाल में स्थित है। संचालनालय व्दारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लाभ हेतु भारत सरकार, राज्य शासन, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड व्दारा प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं बैंकिंग संस्थाओं के साथ समन्वय का कार्य निर्वहन कर, पर्याप्त संस्थागत वित्त सुलभ कराना है। इसके अतिरिक्त यह संचालनालय विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं एवं जन–निजी भागीदारी परियोजनाओं हेतु नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करता है।

14.5 संचालनालय, पेंशन को विभागाध्यक्ष का दर्जा दिया जाकर पेशनर्स की समस्याओं के निराकरण, पेंशन कार्य के अंकेक्षण, पेंशन कल्याण के कार्यो का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 3135/3118/08/ई/चार, दिनांक 01.10.2008 द्वारा पेंशन संचालनालय का नाम परिवर्तित कर ''संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा'' किया गया है। **''संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा''** को पेंशन कार्यो के साथ–साथ विभागीय भविष्य निधि एवं बीमा सह बचत योजना 2003 के क्रियान्वयन का दायित्व भी सौंपा गया हैं।

14.6 संचालनालय,वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली भोपाल में स्थित है। संचालनालय व्दारा बजट कार्य को कम्प्यूटर के माध्यम से संकलित किया जाता है। वार्षिक बजट संबंधी अन्य आवश्यक सूचनायें भी उपलब्ध कराई जाती हैं। संचालनालय व्दारा वित्त विभाग की वेबसाईट भी विकसित की गई है। इस वेबसाईट पर विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी, विधानसभा में प्रस्तुत किये गये मुख्य बजट की जानकारी उपलब्ध है।

14.7 विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश वित्त निगम संचालित है। निगम का मुख्यालय इंदौर में है। निगम व्दारा प्रदेश में औद्योगिकीकरण को गतिशील बनाने के उददेश्य से कार्य–मियादी ऋण प्रदान करने के साथ–साथ व्यवसाय के विविध क्षेत्रों में भी ऋण प्रदान किया जाता है। निगम व्दारा शासन की नीति के अनुरूप अपने कार्यकलापों के विस्तार एवं तकनीकी उन्नयन आदि पर विशेष बल दिया गया है।

14.8 विभाग के अंतर्गत दि प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी है, जिसका मुख्यालय मुम्बई में है। कम्पनी का मुख्य कार्य पूंजीनिवेश कर लाभ कमाना है। कम्पनी की सम्पत्ति महाराष्ट्र के अतिरिक्त केरल राज्य में भी है। यह कम्पनी निरंतर लाभ में चल रही है।